# BCCI BULLETIN

Vol. XXXXIX | November 2018 | No. 10

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES


# बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सर्वाधिक सहभागिता के लिए बिहार सरकार द्वारा सम्मानित

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री से प्रमाण पत्र ग्रहण करते चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं आई.टी. सब कमिटी के संयोजक श्री राजीव अग्रवाल। साथ में प्रधान सचिव, वित्त विभाग डॉ. एस. सिद्धार्थ एवं वित्त विभाग के सचिव (व्यय) श्री राहुल सिंह।

पटना के अधिवेशन भवन में दिनांक 23 नवम्बर 2018 को बिहार सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को दिनांक 06 सितम्बर 2018 से 15 अक्टूबर 2018 तक गर्वनमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के राष्ट्रीय मिशन की अवधि में आयोजित जेम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सर्वाधिक सहभागिता के आधार पर टॉप टेन जेम फेसिलिटेटर के रूप में चयनित करते हुए श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री के कर-कमलों द्वारा सम्मानित किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने बताया कि GeM वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद-बिक्री का सिंगल विंडो सिस्टम है और यह प्लेटफार्म पारदर्शिता से खरीद-बिक्री की सुविधा मुहैया करवाता है। पूर्व में कोई भी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को सामानों की आपूर्ति के लिए व्यवसायियों से टेंडर लेना पड़ता था। उसमें और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का गठन किया है जिससे कि विभिन्न सरकारी विभागों में उपयोग में आने वाले सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की जा सके। उन्होंने आगे बताया कि जेम में छोटे से बड़े व्यवसायी अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकते हैं। इसमें व्यवसायियों को उत्पादों की क्वालिटी एवं कीमत सरकार के सामने रखना होता है।

GeM Government e Marketplace

बिहार सरकार

## वित्त विभाग

बिहार सरकार

### प्रमाण-पत्र

Government e-Marketplace (GeM) के राष्ट्रीय मिशन की अवधि 6 सितम्बर, 2018 से 17 अक्टूबर, 2018 के मध्य आपके कार्यालय/संस्थान बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पटना द्वारा सराहनीय प्रदर्शन किया गया है। इस सराहनीय कार्य के लिए वित्त विभाग, बिहार सरकार की ओर से GeM प्रोत्साहन प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार सरकार

## अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (GeM) के राष्ट्रीय मिशन की अवधि 6 सितम्बर से 15 अक्टूबर, 2018 तक आयोजित GeM प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सर्वाधिक सहभागिता के आधार पर टॉप 10 GeM फेसिलिटेटर के रूप में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को चयनित करते हुए श्री सुशील कुमार मोदी माननीय उप मुख्यमंत्री के कर–कमलों द्वारा पटना के अधिवेशन भवन में सम्मानित किया गया। चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, आईटी सब कमिटि के संयोजक श्री राजीव अग्रवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री सॉवल राम ड्रोलिया ने संयुक्त रूप से सम्मान एवं प्रमाण पत्र ग्रहण किया। चैम्बर को सम्मानित करने के लिए बिहार सरकार विशेषकर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के हम आभारी हैं। सम्बन्धित समाचार इसी बुलेटीन में प्रकाशित की गयी है।

बापू सभागार में दिनांक 2 नवम्बर, 2018 को PNB द्वारा आयोजित सहयोग एवं सम्पर्क कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह, जिसमें दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री लाईव स्क्रीनिंग के जरिये MSME के उद्यमियों से बात कर उनका फीड बैक ले रहे थे, में मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को भी मंच पर स्थान दिया गया था। कार्यक्रम में माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय मंत्री श्री राम कृपाल यादव तथा बिहार के माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह उपस्थित थे । कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी रहा।

इसी माह चैम्बर एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई, पटना के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 16 नवम्बर से 5 दिवसीय फल सब्जी परिरक्षण एवं पोषण प्रशिक्षण कार्यक्रम चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अंतिम दिन सस्ता एवं पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें तीन महिला प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया सम्बन्धित समाचार इसी बुलेटिन में प्रकाशित है।

औद्योगिक भूमि की कमी के आलोक में BIADA पुनः Exit Policy (निकास नीति) को लेकर आने वाली है। निकास नीति से राज्य सरकार बन्द पड़ी इकाईयों को जमीन बियाडा को वापस करने का अवसर प्रदान कर सकती है और इकाईयों के लिए OTS (एक मुश्त निपटान योजना) भी लायी जा सकती है। ध्यातव्य है कि जमीन की कमी की वजह से कई निवेशक बिहार में निवेश से मुंह मोड़ चुके हैं। निकास नीति के अस्तित्व में आने पर उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने एवं बिहार में उद्योग लगाने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा और राज्य के विकास में सहभागी होगा।

सादर,

आपका

**पी. के. अग्रवाल**

**माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी से पुरस्कार ग्रहण करते चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं आई.टी. सब कमिटी के संयोजक श्री राजीव अग्रवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री सावल राम ड्रोलिया। साथ में प्रधान सचिव, वित्त विभाग डॉ. एस. सिद्धार्थ एवं वित्त विभाग के सचिव (व्यय) श्री राहुल सिंह।**

श्री अग्रवाल ने बताया कि चैम्बर की ओर से राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (GeM) से विस्तारपूर्वक अवगत कराने हेतु जनवरी 2018 से ही बड़े स्तर पर प्रचार–प्रसार कराया साथ ही समय –समय पर इसके विशेषज्ञों को चैम्बर में आमंत्रित कर उद्यमियों एवं व्यवसायियों को इसके पंजीयन या अन्य संबंधित समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया है। यह हर्ष की बात है कि चैम्बर के इस प्रयास का काफी उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने लाभ उठाकर जेम में अपना पंजीयन कराकर इसका फायदा उठा रहे हैं।

चैम्बर की ओर से संयुक्त रूप से महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, आई टी सब कमिटी के संयोजक श्री राजीव अग्रवाल एवं श्री सावल राम ड्रोलिया ने पुरस्कार ग्रहण किया एवं चैम्बर को टॉप टेन जेम फेसिलिटेटर में चयन के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चैम्बर सदैव उद्यमियों एवं व्यवसायियों के हित में सरकार द्वारा लायी गयी योजनाओं को सफल बनाने में कंधे–से–कंधा मिलकर अपना हर प्रकार का सहयोग दिया है और आगे भी देता रहेगा।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने इसके लिए बिहार सरकार एवं विशेष कर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से संस्थाओं का मनोबल ऊँचा होता है और भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं।

# मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में सूक्ष्म व लघु उद्योग का बड़ा योगदान : रविशंकर

कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, माननीय केन्द्रीय विधि एवं न्याय तथा संचार एवं आईटी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री रामकृपाल यादव, माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया, पीएनबी के महाप्रबंधक श्री एस० के० मलहोत्रा एवं अन्य।

केन्द्रीय विधि न्याय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में मैन्यूफैक्चरिंग विनिर्माण के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमइ) का सबसे बड़ा योगदान है। 633 लाख एमएसएमई मिलकर 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। श्री प्रसाद स्थानीय बापू सभागार में पीएनबी द्वारा आयोजित सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में दिल्ली से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की लाइव स्क्रीनिंग की जा रही थी। प्रधानमंत्री ने लाइव स्क्रीनिंग के जरिये एमएसएमईज से बात कर उनका फीड बैक भी लिया।

विश्व बैंक का हवाला देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। 2013-14 में जहाँ 3 करोड़ 82 लाख लोग इनकम टैक्स दे रहे थे, वहीं आज 6.82 करोड़ लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। इनकम टैक्स राशि में बढ़ोत्तरी होकर यह 10.2 लाख करोड़ तक पहुँच गया।

श्री प्रसाद ने कहा कि पहले पान वाले, आटा चक्की चलाने वाले, पकौड़ा बेचने वालों को बैंक लोन नहीं देते थे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमे देश के गरीबों की चिंता है। सात करोड़ 45 लाख लोगों ने मुद्रा लोन का लाभ उठाया, जिनमें 30 प्रतिशत लोग ऐसे थे, जिन्हें पहली बार लोन मिला। इनमें भी 73 प्रतिशत महिलाएँ पिछड़ा थीं। पचपन प्रतिशत लाभार्थी पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के थे। देश को जिस बदलाव की जरूरत थी, उसकी अच्छी शुरूआत हो चुकी है। आज डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में 101 स्थानों पर बीपीओ चल रहे हैं। पटना में 9 बीपीओ है। एक बीपीओ में लगभग 150 लोग काम करते हैं।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पूरे देश में 100 जिलों का चयन किया है, जहाँ उद्योगों को विकसित करना है। इनमें बिहार के चार जिले, भागलपुर, पटना, मधुबनी और गया शमिल है। इस बात के लिए प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर औद्योगिक प्रगति की दिशा में काम करना होगा। सूक्ष्म और लघु उद्योग में काफी संभावनाएँ हैं।

राज्य के उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब की अच्छी डिमांड है। एक क्लस्टर बनाकर इसके उत्पादन के लिए कदम उठाना चाहिए। इससे काफी युवाओं को रोजगार मिलेगा। हस्तकरघा और बुनकर उद्योग के लिए राज्य सरकार ने काफी अच्छे कदम उठाए हैं। उनहोंने कहा कि केन्द्र की योजनाओं में भी राज्य सरकार पूरा सहयोग कर रही है।

कार्यक्रम को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव प्रवीण श्रीवास्तव तथा पंजाब नेशनल बैंक के महा प्रबंधक एल. के. मल्होत्रा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक राजीव राय, उद्योग विभाग के अतिरिक्त सचिव प्रदीप कुमार तथा डी. डी. झा ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी।

समारोह के अंत में पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक सुधीर दलाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल, बिहार इंडस्ट्रीज असोसिएशन के अध्यक्ष के. पी. एस. केशरी, मनीष तिवारी, सीआईआई के अध्यक्ष पी. के. सिन्हा तथा भारी संख्या में युवा उद्यमी उपस्थित थे।

**( साभार : आज, 3.11.2018 )**

## एमएसएमई के लिए 90 अरब रुपये आवंटित

**सरकार का अनुमान है कि ब्याज रियायत योजनाओं पर 27 अरब रुपये का खर्च आएगा**

सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग संपर्क एवं समर्थन कार्यक्रम के लिए 90 अरब रुपये आवंटित किए हैं। इस कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सरकार का अनुमान है कि ब्याज रियायत योजनाओं पर 27 अरब रूपये का खर्च आएगा।

**एमएसएमई को महज 59 मिनट में ऋण की मंजूरी :** • प्रधानमंत्री ने एमएसएमई को कर्ज की मंजूरी के लिए वेव पोर्टल किया शुरू • प्लेटफॉर्म से ऋण की मंजूरी में लगने वाला समय 20-25 दिन से घटकर 59 मिनट हुआ • मंजूरी के बाद 7-8 दिन में ऋण मिलेगा • कर्ज मंजूरी या वितरण में मानव दखल नहीं • 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक ऋण मिलेगा • कर्ज की मंजूरी के लिए भौतिक दस्तावेज जमा कराने की नहीं जरूरत • एमएसएमई कंपनियों को आवेदन शुल्क के रूप में 1,000 रुपये का करना होगा भुगतान।

**( विस्तृत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 6.11.2018 )**

# चैम्बर में सामुदायिक, खाद्य एवं पोषाहार विस्तार इकाई, पटना द्वारा फल-सब्जी परिरक्षण एवं पोषण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ

कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर। उनकी बाँयीं ओर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई पटना के प्रभारी श्री श्याम सुन्दर सिन्हा। दाँयीं ओर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री सावल राम डोलिया एवं श्री एम० पी० जैन। साथ में श्रीमती गीता जैन एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज तथा खाद्य एवं पोषण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई, पटना के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 16 नवम्बर 2018 को चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में महिलाओं को फल सब्जी परिरक्षण एवं पोषण प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ।

कार्यक्रम का उद्घाटन चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर ने किया एवं बताया कि फल एवं सब्जी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है परन्तु परिरक्षण के अभाव में करीब 14 हजार करोड़ की फल एवं सब्जियाँ बर्बाद हो जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा पूरे देश में फल सब्जी परिरक्षण एवं पोषण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा जिससे कि मौसमी फल एवं सब्जियों को बर्बादी से बचाया जाए। इससे जहाँ एक ओर फल एवं सब्जियों की बर्बादी से बचाव होगा वहीं दूसरी ओर लोग सालों भर उस सब्जी एवं फल का उपयोग कर सकेंगे।

इस अवसर पर सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई, पटना के प्रभारी श्री श्याम सुन्दर सिन्हा ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पाँच दिनों का होगा जिसमें प्रतिदिन अलग-अलग मौसमी फलों एवं सब्जियों को कैसे परिरक्षित करके सालों भर रखा जाए उसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाएगा। साथ ही बड़ों एवं बच्चों का न्यूट्रीशन कैसा हो इसके संबंध में भी जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम दिन महिलाओं को स्वयं पोषक आहार बनाने को दिया जाएगा जिससे यह पता चले कि परिरक्षण के संबंध में वह क्या सीखीं और उन्हें खाद्य एवं पोषण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा ।

प्रतिभागियों को संबोधित करते चैम्बर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी। उनकी बाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री श्याम सुन्दर सिन्हा, श्रीमती गीता जैन। दाँयीं ओर श्री सावल राम डोलिया एवं श्री एम० पी० जैन।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर के अतिरिक्त कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, चैम्बर के वरीय सदस्य श्री सुबोध कुमार जैन, श्री सावल राम डोलिया श्री एम० पी० जैन, डॉ० गीता जैन एवं अन्य सम्मानित सदस्य कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

# एक्जिट पॉलिसी लाएगा बियाडा

औद्योगिक भूमि की किल्लत से बिहार औद्योगिक भूमि विकास प्राधिकरण (बियाडा) फिर से निकास नीति (एक्जिट पॉलिसी) लेकर आने वाला है। इससे प्राधिकरण को अतिरिक्त जमीन मिलने की उम्मीद है। इस बारे में बियाडा की बोर्ड बैठक में निर्णय किया जा सकता है।

बियाडा के अधिकारियों ने बीते दिनों बिहार में औद्योगिक भूमि की किल्लत की शिकायत की थी। उनके मुताबिक जमीन की कमी की वजह से कई निवेशक बिहार से मुँह मोड़ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक अब प्राधिकरण अपनी जमीन को मुक्त कराने के लिए निकास नीति ला सकता है। इसके तहत राज्य सरकार बंद पड़ी इकाइयों को जमीन बियाडा को वापस करने का मौका दे सकती है। इसके तहत इकाइयों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (OTS) लाई जा सकती है, जिसके जरिये इकाइयों को अपना बकाया एक बार में खत्म करने का मौका दिया जाएगा। बियाडा इन इकाइयों की जमा राशि भी वापस कर सकता है।

बियाडा के पास इस वक्त करीब 5, 400 एकड़ जमीन है, लेकिन इनमें से करीब आधी जमीन बंद इकाइयों के पास फंसी है। राज्य सरकार पहले भी एक्जिट पॉलिसी ला चुकी है, लेकिन कारोबारी इसके लिए तैयार नहीं हैं। वे या तो उचित मुआवजे या फिर जमीन का मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं। करीब 10 साल पहले बियाडा ने इन इकाइयों पर मुकदमा दायर किया था। सरकार अब इन मुकदमों का निपटारा मध्यस्थता के जरिये भी कर सकती है।

इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी निकास नीति में विशेष उल्लेख करने का भी फैसला लिया है। इसके तहत इकाइयों के पास मध्यस्थता में भी जाने का मौका रहेगा। इस निकास नीति को लेकर बियाडा की बोर्ड बैठक में चर्चा हो सकती है।

**( बिज़नेस स्टैंडर्ड, 16.11.2018 )**

# चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में सस्ता पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित

दिनांक 21 नवम्बर 2018 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में महिलाओं के लिए चल रहे पाँच दिवसीय फल सब्जी परिरक्षण एवं पोषण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ''सस्ता पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता'' का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ने किया एवं बताया कि खाद्य एवं पोषण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई, पटना के संयुक्त तत्वावधान में प्रशिक्षण केन्द्र की महिलाओं को मौसमी फल एवं सब्जियों को कैसे परिरक्षण कर सालो भर उसका उपयोग किया जा सकता है, इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियाँ यथा- जैम, आचार, जेली, स्क्वॉश, टोमैटो सॉस तथा पोषक आहार के साथ रोजाना उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्रियों को बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था।

अपने व्यंजनों को प्रदर्शित करती प्रतिभागी महिलाएं। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं श्रीमती गीता जैन।

प्रतिभागियों द्वारा बनाये व्यंजनों का अवलोकन करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

प्रतिभागी महिला को पुरस्कृत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं श्रीमती गीता जैन।

उन्होंने आगे कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य कर्म खर्च में स्वादिष्ट एवं पौष्टिक आहार बनाने का प्रशिक्षण देना है ताकि न केवल वे इस हुनर का अपने घर में उपयोग करें बल्कि यदि वे चाहें तो इसका उपयोग कॉमर्शियल रूप में करके अतिरिक्त आय का जरिया भी बना सकती हैं।

श्री जैन ने बताया कि आज की प्रतियोगिता में 38 प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रकार का व्यंजन यथा- गोभी का पकौड़ा, मिस्सी रोटी, चना दाल हलवा, मीठा पुलाव, मन्चूरियन, मक्के की रोटी, पालक साग, नारियल की चटनी, मूली पराठा, पोहा पुलाव, पौष्टिक लड्डू, पालक रायता, आलू बर्फी, गाजर हलवा, लिट्टी-चोखा, मसाला पनीर, सेवई खीर, समोसा, मुंगफली बर्फी, मूंगफली पट्टी, पीरिकिया, पास्ता, धान लावा लाई, सोयाबीन हलवा, टमाटर चटनी, सूजी हलवा, मैगी, मोमो, सोयाबीन बड़ी सब्जी, गाजर पराठा, आलू आचार, साबुदाना पकौड़ा, धनिया चटनी, आम का आचार, मैदा की कचौड़ी, मूली आचार, आमला आचार, लहसुन आचार, मिक्स आचार, पीठ्ठा आदि पकवान बनाया।

इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल ने प्रत्येक प्रतिभागियों के बनाए व्यंजन को चखा, सराहा तथा कर्म खर्च एवं पौष्टिकता के आधार पर निम्नांकित प्रतियोगियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया -

- प्रथम पुरस्कार : दीपिका शर्मा को मिक्स बर्फी बनाने पर
- द्वितीय पुरस्कार : प्रीति जायसवाल को गाजर पराठा, टमाटर चटनी एवं पौष्टिक लड्डू बनाने पर
- तृतीय पुरस्कार : संयुक्त रूप से फरहवा जवीन पौष्टिक लड्डू एवं

अनामिका साहा को पार्टी साफ्ट पीठा बनाने पर दिया गया।

इस अवसर पर सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई, पटना के प्रभारी श्री श्याम सुन्दर सिन्हा ने पोषण संबंधी भ्रांतियों के बारे में बताया तथा मौसमी फल एवं सब्जियों का अधिकाधिक उपयोग करने की सलाह दी।

इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन डॉ० गीता जैन, माधवी सेन गुप्ता, ममता सिन्हा एवं दुर्गा बनर्जी के देख-रेख में संपन्न हुआ।

## चैम्बर अध्यक्ष द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बिहार के क्षेत्रीय समिति की बैठक का शुभारंभ

दीप प्रज्ज्वलित कर बैठक का शुभारंभ करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं अन्य।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल को पौधा देकर सम्मानित करते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक में उपस्थित श्रम संसाधन के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह, संगठन के अधिकारीगण एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ( बाँयें से प्रथम ) एवं अन्य।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बिहार के क्षेत्रीय समिति की 103वीं बैठक दिनांक 31 अक्टूबर 2018 को नियोजन भवन, पटना के सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक का शुभारम्भ चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

इस अवसर पर श्री दीपक कुमार सिंह, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग सहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

बैठक में चैम्बर अध्यक्ष ने बैठक की कार्यावली के बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया एवं अपना सुझाव दिया। इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष को पौधा देकर सम्मानित भी किया गया।

## बिहार के बनाए जेम पुल एकाउंट मॉडल को अपनाएगा पूरा देश

**खुदरा मूल्य से 10 प्रतिशत कम में मिलेंगी वस्तुएँ, डिलेवरी के दस दिन के अंदर विक्रेता के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है राशि**

सरकारी कार्यालयों के लिए ऑनलाइन खरीद पोर्टल जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) पर बिहार द्वारा बनाया गया जेम पुल एकाउंट मॉडल व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया जाएगा। भारत सरकार की संस्था जेम ने बिहार मॉडल को एडॉप्ट कर लिया है। जेम ने सभी राज्यों को इसे अपने-अपने यहाँ लागू करने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था के तहत क्रेता विभाग को वस्तुओं का ऑर्डर देने से पहले निर्धारित राशि जेम पुल एकाउंट में जमा करनी होती है। वस्तुओं की डिलेवरी होने के दस दिन के अंदर यह राशि विक्रेता के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

**खरीद-बिक्री का सिंगल विंडो सिस्टम :** वन स्टॉप गवर्नमेंट ई-मार्किट प्लेस का संक्षिप्त नाम है जेम, जहाँ सामान्यतया प्रयोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है। भारत सरकार ने इस खरीद-बिक्री की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। केन्द्र और देश के कई राज्यों ने अपनी खरीद नीति में इसे शामिल कर लिया है। यह सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद के लिए जेम का उपयोग किया जा सकता है। यह खरीद-बिक्री का सिंगल विंडो सिस्टम है। यह प्लेटफॉर्म पारर्शिता से खरीद-बिक्री की सुविधा मुहैया करवाता है।

जेम में आर्डर देने के लिए www.gem.gov.in और डीजीएसएंडडी वेबसाइट www.dgsnd.gov.in पर लॉग इन करना होगा।

**काफी फायदेमंद :** जेम प्लेटफॉर्म पर खरीद-बिक्री क्रेता और विक्रेता दोनो के लिए फायदे का सौदा है। विक्रेता को अपनी वस्तुओं की कीमत अधिकतम खुदरा मूल्य से कम से कम 10 फीसदी नीचे कोट करना पडता है। सबसे कम मूल्य कोट करने वाले को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिक ऑर्डर चला जाएगा। मूल्य की राशि क्रेता के खाते में ब्लॉक कर दी जाएगी। सेवा या वस्त की आपूर्ति होने के बाद जब क्रेता कन्फर्म कर देगा तो विक्रेता को स्वत: 80 फीसदी राशि की आपूर्ति हो जाएगी।

"बिहार में जेम पर खरीदारी करने के लिए निर्धारित राशि पुल करने की जो व्यवस्था बनाई गई है, उसे जेम ने एडप्ट कर लिया है। अब यह मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके लिए जेम ने राज्यों को निर्देश दिया है।"

– **सुशील कुमार मोदी**, उपमुख्यमंत्री, सह वित्त मंत्री , बिहार सरकार

**( साभार : दैनिक भास्कर, 26.11.2018 )**

## सिटी में रोज बनेंगे एक लाख एलईडी बल्ब

**क्लस्टर तैयार, केन्द्र और राज्य सरकार के प्रयास से पूरी योजना को मूर्त रूप देने में जुटे अधिकारी**

पटना सिटी का बल्ब उद्योग फिर से रौशन होगा। पारंपरिक बल्बों की बजाय अब यहाँ आधुनिक तकनीक वाली एलईडी बल्ब तैयार की जाएगी। इसके लिए एक क्लस्टर को विकसित किया जा रहा है। प्रतिदिन एक लाख से अधिक एलईडी बल्ब बनाने की योजना है। केन्द्र व राज्य सरकार के प्रयास से पूरी योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। एलईडी इलेक्ट्रानिक्स बल्ब क्लस्टर को संवेग न्यू इंडिया योजना के तहत एक सौ दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण श्रीवास्तव को पटना का प्रभारी बनाया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत हर दिन एक लाख से अधिक एलईडी बल्ब बनाने की योजना हैं। लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग डेभ्लपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष रंजीत कुमार जायसवाल ने कहा कि इस कार्यशाला में केन्द्र व राज्य सरकार के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग से संबंधित उच्च अधिकारी, सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हाजीपुर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बिहटा, भारत मानक संस्थान, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, टूल ट्रेनिंग सेंटर के अधिकारी तथा सभी बैंकों के क्षेत्रीय अंचल प्रबंधक मौजूद रहेंगे। संवेग कार्यक्रम में न्यू इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने की जवाबदेही तय की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने देशभर के एक सौ विशेष क्लस्टरों का चुनाव किया है। जिसमें पटना सिटी के एलईडी बल्ब क्लस्टर का भी संवेग के तहत चयन कर बिहार को प्रगति की राह पर ले जाने का सार्थक प्रयास है। सबकुछ ठीक रहा तो जल्द की सिटी में हर दिन एक लाख से अधिक एलईडी बल्बों का निर्माण शुरू हो जाएगा। पटना सिटी के एलईडी बल्ब क्लस्टर में उद्योग विभाग-कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाएगा। जहाँ बल्ब की जाँच से लेकर सर्टिफिकेशन तक की सुविधा होगी। उद्यमियों का मानना है कि एलईडी बल्ब के लिए बिहार एक बड़ा बाजार भी है।

**( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 26.11.2018 )**

## औद्योगिक रियायतें हासिल करना अब नहीं आसान

**• रियायतें प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को लेनी होगी उद्योग विभाग की मंजूरी • औद्योगिक अनुदान में भुगतान में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद उठाया गया यह कदम**

बिहार में औद्योगिक रियायतें हासिल करना अब आसान नहीं रह गया है। अब ऐसे अनुदान लेने के लिए उद्यमियों को उद्योग विभाग की मंजूरी लेनी होगी। राज्य में औद्योगिक अनुदान में भुगतान में गड़बड़ियों की शिकायत के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। विभाग ने इस बारे में दो स्तरों पर फैसला किया है। इसके तहत उद्योग विभाग ने एक कार्यकारी आदेश के जरिये बिहार औद्योगिक नीति, 2016 में बदलाव किया है। इसके तहत प्रोत्साहन राशि जारी करने के लिए नियमों में फेरबदल किया गया है। पहले इन रियायतों के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) की मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसके बाद रकम स्वत: उद्यमियों के खाते में चली जाती थी। हालांकि अब विभाग ने बोर्ड की मंजूरी के बाद भी अनुदान जारी करने के लिए उद्योग निदेशक की मंजूरी अनिवार्य कर दी है।

बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत उद्यमयिों को रियायतें अब विभाग की एक समिति की मंजूरी के बाद ही मिलेगी। इस विभागीय समिति के अध्यक्ष निदेशक होंगे। साथ ही, समिति में विभाग के संयुक्त सचिव के साथ-साथ वाणिज्य कर विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। इसमें बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि भी रहेंगे। हालांकि इन दोनों मामलों पर विभाग में फैसला लेने के लिए कोई समय-सीमा नहीं रखी है। निवेशकों के मुताबिक विभाग के इस कदम से निवेशकों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे।

**( साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 26.11.2018 )**

## सरकारी खरीद में महिला उद्यमियों को तरजीह

**सीपीएसई डेटा के आधार पर एमएसएमई को दिया जाएगा ऑर्डर**

महिला उद्यमियों द्वारा तैयार उत्पादों की खरीद को अब प्राथमिकता मिलेगी। इसके लिए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (सीपीएसई) की प्रॉक्योरमेंट हिस्ट्री मांगी गई है। इसमें इस सूचना पर काम किया जा रहा है कि कैसे महिलाओं के छोटे से छोटे इंटरप्रेन्योर को बाजार उपलब्ध करा कर मदद की जाए। बिहार सहित कई राज्यों में महिला उद्यमियों का काम अच्छा रहा है और उनके उत्पाद केन्द्रीय प्रॉक्योरमेंट सूची में भी शामिल हैं। अब एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र में जो भी उत्पाद महिला उद्यमियों द्वारा तैयार किया जा रहा है उनकी गुणवत्ता स्तरीय होने पर यह पहल उन्हें लाभ देने में सक्षम होगी। बताते चलें कि सरकार ने एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें अब सभी लोक उपक्रमों को उनकी वार्षिक खरीद का 25 प्रतिशत एमएसएमई क्षेत्र से खरीदना है। यह सीमा अबतक 20 प्रतिशत था। इतना ही नहीं इस 25 फीसदी में 3 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले छोटे या मझोले उद्योग से लेना होगा। इस व्यवस्था के बाद बिहार की महिला उद्यमियों के लिए बड़े अवसर हैं। क्योंकि बिहार में फूड प्रोसेसिंग, मिथिला पेंटिंग्स, साड़ी वर्क में महिला उद्यमी बेहतर प्रदर्शन करती रही हैं।

**बीएमयूएस के बैनर तले नव उद्यमियों की करते हैं मदद**

"सरकार की योजनाएँ भी हैं और अन्य सपोर्ट सिस्टम भी है। बिहार की महिलाओं को आगे आकर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। हम बिहार महिला उद्योग संघ (बीएमयूएस) के बैनर तले भी महिला नव उद्यमियों को मदद करते हैं।" – **उषा झा**, अध्यक्ष, बिहार महिला उद्योग संघ सह प्रॉपराइटर पेटल्स क्रॉफ्ट

**( साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 19.11.2018 )**

## जमीन के बदले कंपनी में हिस्सेदारी मिलेगी

निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण में मुआवजे के तौर पर जमीन मालिक को कंपनी में हिस्सेदारी मिलेगी। नीति आयोग ने इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। आयोग के नए प्रस्ताव में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ पी-4 मॉडल के तहत लोगों को भी हिस्सेदारी दी जाएगी।

मामले से जुड़े सूत्र ने 'हिन्दुस्तान' को बताया है कि नए प्रस्ताव के तहत जमीन अधिग्रहण करने वाली कंपनी में जमीन मालिक का भी एक हिस्सा रखा जाएगा। जमीन की कुल कीमत से ही उसके मालिक को एक हिस्सा दिया जाएगा। ताकि उसका भूमि पर मालिकाना हक भी खत्म न हो और जो उद्योग लगे उसमें मालिक का भी हिस्सा रहे। प्रस्ताव मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। फिर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरूआत लक्षद्वीप में आइलैंड डेवलपमेंट के लिए की जाएगी।

**ये प्रस्ताव होंगे :** 1. प्रोजेक्ट की कुल कीमत में से जो हिस्सा जमीन का होगा उस पर भूमि मालिक की हिस्सेदारी तय होगी। 2. प्रोजेक्ट में जमीन की कीमत के प्रतिशत के हिसाब से जमीन के मालिक को मुआवजा मिलेगा। 3. मुआवजा हिस्सेदारी या रकम या फिर दोनों का मिलाजुला स्वरूप भी हो सकता है। मुआवजा में रकम और हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना रखा जाए, इस पर मंथन हो रहा है। **( साभार : हिन्दुस्तान, 16.11.2018 )**

## बिहार में फलों के प्रसंस्करण को बढ़ावा

बिहार में फलों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार आम, लीची, केला और अमरूद के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी। इसके लिए राज्य सरकार एक खास योजना शुरू करने वाली है।

प्रसंस्करण के वास्ते विभाग की ओर से हर जिले में 50 एकड़ जमीन में एक क्लस्टर बनाया जाएगा। साथ ही, इस क्लस्टर के संचालन की पूरी जिम्मेदारी किसानों के समूह को ही दी जाएगी।

फलों की बरबादी रोकने में राज्य सरकार को काफी मदद मिलेगी। इस वक्त राज्य में करीब आधे फल बाजार पहुँचने से पहले ही बरबाद हो जाते हैं।

**( विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.11.2018 )**

## एमएसएमई सेक्टर को अधिक कर्ज देने पर रिजर्व बैंक राजी

फंसे कर्ज (एनपीए) से जुड़े नए नियमों के बोझ में दबे छोटे-मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को राहत देने पर आरबीआई झुकता दिखाई दिया। बोर्ड की तरफ से आरबीआई को सुझाव दिया गया कि ऐसे एमएसएमई जिन पर 25 करोड़ रुपए तक फंसे कर्ज (एनपीए) है उनके लिए अलग से स्कीम लाई जाए ताकि उन पर दिवालिया कानून लागू न हो। एमएसएमई को ज्यादा कर्ज देने के मुद्दे पर आरबीआई की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वह इस बारे में कदम उठाएगा। **( साभार : दैनिक भास्कर, 20.11.2018 )**

## छोटे और मझोले उद्यमों के लिए जीएसटी हेल्प डेस्क

छोटे और मझोले उद्यमों को मदद देने के लिए वित्त मंत्रालय का बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा विभाग जहाँ दो नवंबर से एमएसएमई के लिए 80 जिलों में सौ दिवसीय विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (सीबीआइसी) इन जिलों में जीएसटी हेल्पडेस्क बनाने जा रहा है। जीएसटी हेल्पडेस्क पर कारोबारियों को पंजीकरण कराने से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक की सुविधा उपलब्ध होगी। एमएसएमई के लिए शुरू होने वाले इस सौ दिवसीय अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। फिलहाल इसके तहत 80 जिलों को चुना गया है। सीबीआइसी के जीएसटी कमिश्नर उपेन्द्र गुप्ता ने सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों और मुख्य आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि वे 80 जिलों में एमएसएमई कारोबारियों की मदद के लिए जीएसटी हेल्पडेस्क शुरू करें। **( साभार : दैनिक जागरण, 31.10.2018 )**

## एकमुश्त निपटान योजना की तैयारी

बिहार सरकार अपने वित्त निगमों के बकायेदारों के लिए एकमुश्त निपटारा योजना (ओटीएस) लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत बिहार राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी) और बिहार राज्य क्रेडिट ऐंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (बिसिको) के देनदारों को अपने बकाये को चुकता करने का मौका मिलेगा।

राज्य सरकार इस योजना की शुरूआत अगले महीने से करने के बारे में सोच रही है। इसके तहत बकायेदारों को अपने कुल बकाये की मूल राशि और ब्याज का एक तय हिस्सा चुकाना होगा। जो बकायेदार ऐसा करेंगे, उन्हें काली सूची से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद वे बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थानों से कर्ज ले सकेंगे। **( विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 17.11.2018 )**

**आयोग करेगा जनसुनवाई, स्वीकृति के बाद 2019-20 का टैरिफ प्रस्ताव देगी कंपनी**

## बिजली कंपनियों ने विनियामक आयोग को सौंपा तीन साल का बिजनेस प्लान

राज्य के लोगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई देने के लिए बिजली कंपनियों ने अगले तीन साल का बिजनेस प्लान तैयार किया है। इस प्लान को स्वीकृत करने के लिए बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव सौंपा गया है। बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर आम लोगों की राय लेने के लिए विनियामक आयोग जनसुनवाई की तारीख जल्द तय करेगा।

**अभी इस दर से हो रही बिलिंग**

**शहरी घरेलू उपभोक्ता : 1.83 रुपए प्रति यूनिट राज्य सरकार के अनुदान देने के बाद**

| | | |
|---|---|---|
| 1-100 यूनिट | : | 4.32 रुपये |
| 101 से 200 यूनिट | : | 5.12 रुपये |
| 201 से 300 यूनिट | : | 5.97 रुपये |
| 300 से अधिक | : | 6.77 रुपये |

**ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता : 3.50 रुपए प्रति यूनिट राज्य सरकार के अनुदान देने के बाद**

| | | |
|---|---|---|
| 1 से 100 यूनिट | : | 2.65 रुपये |
| 101 से 200 यूनिट | : | 2.90 रुपये |
| 200 से अधिक | : | 3.15 रुपये |

**वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्रस्ताव सौंपेगी कंपनी :** इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार अगले तीन साल का बिजनेस प्लान स्वीकृत होने के बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बिजली दर में संशोधन का प्रस्ताव बिजली कंपनियाँ देगी। इस प्रस्ताव पर जनसुनवाई करने के बाद आयोग टैरिफ दर अपनी फैसला सुनाएगी। **( विस्तृत : दैनिक भास्कर, 17.11.2018 )**

## बिहार में औद्योगिक भूमि के लिए बनेगी अलग श्रेणी

इस समय राज्य में जमीन के लिए आवासीय, कृषि और वणिज्यिक श्रेणी हैं। इसी आधार पर इनके लिए सर्किल रेट और होल्डिंग कर तय किया जाता है। अब उद्योग विभाग ने इसमें औद्योगिक श्रेणी को भी जोड़ने का आग्रह किया है। इस जमीन पर सिर्फ औद्योगिक इकाइयाँ ही लगाई जा सकेंगी और इसके लिए कर की दर भी अलग होगी। इसकी कीमत भी कृषि भूमि से 50 फीसदी ज्यादा रखने का आग्रह किया गया है। राजमार्गों और मुख्य सड़कों के दोनों ओर की सड़कों को इसके लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। किसान इस जमीन पर खेती तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी खरीद बिक्री पर औद्योगिक भूमि के बराबर कर का भुगतान करना होगा। विभाग के मुताबिक इससे राज्य सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। औद्योगिक इकाइयों को भी आसानी से जमीन मिल सकेगी। **( विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 15.11.2018 )**

## बिहार में कुटीर-लघु उद्योग विकसित करेगी सरकार

बिहार सरकार ने अब जिलों के आधार पर लघु उद्योगों को विकसित करने का फैसला लिया है। इसके तहत हर जिले में वहाँ की विशेषता के हिसाब से कुटीर, सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार के मुताबिक इससे उनकी कमाई में काफी इजाफा होगा।

इसके तहत उद्योग विभाग ने सभी जिलों के लिए सूची भी तैयार कर ली है। इसके तहत एक ओर पटना में अगरबत्ती, गहनों के डिजाइनिंग, प्रिंटिंग और एलईडी बल्ब की इकाइयाँ विकसित की जाएंगी, वहीं नालंदा में खाद्य प्रसंस्करण और चमड़ा उत्पाद की इकाइयाँ विकसित की जाएंगी। इसके अलावा गया में तिलकुट और लाई और सासाराम की मशहूर मिठाई के उत्पादन से जुड़ी इकाइयों और चावल मिलों को राज्य सरकार विकसित करेगी।

उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया, 'इन इकाइयों का चयन हमने काफी सोच-समझ कर किया है। जो उत्पाद ये इकाई बनाएँगे वह इन जिलों की

विशेषता है। इसके साथ ही इन उत्पादों को बनाने में इन जिलों को लंबा अनुभव है। मिसाल के तौर पर पटना में 1995-96 तक फिलामेंट बल्ब का निर्माण होता था वहीं गया का तिलकुट पूरे देश में नामी है। सासाराम की बेलग्रामी मिठाई की अलग ही पहचान है भागलपुर और उसके आस-पास का पूरा इलाके अपने सिल्क के लिए मशहूर है।'

विभाग के मुताबिक कुटीर, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास से जिलों में निचले स्तर पर रोजगार बढ़ेगी जिसका सीधा असर विकास पर होगा। इनकी पूँजी की सीमित जरूरत को पूरा करने के लिए विभाग ने आसान शर्तों पर ऋण की भी व्यवस्था की है। यह उन्हें सीधे राज्य सरकार से मिलेगा। इससे बैंकों से उनकी निर्भरता कम होगी। **( विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 19.11.2018 )**

## बरौनी खाद फैक्ट्री में 2021 से शुरू होगा उत्पादन

**हिन्दुस्तान उर्वरक व रसायन लिमिटेड के अफसरों ने सीएम को दी जानकारी**

बरौनी खाद कारखाने से मई 2021 में व्यावयायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुकाकात करके उनको कारखाने की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। इस कारखाने से रोजाना 2200 टन अमोनिया और 3850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। **( विस्तृत : दैनिक भास्कर, 3.11.2018 )**

## औद्योगिक अनुदानों की जांच करेगी बिहार सरकार

औद्योगिक अनुदानों पर बिहार सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत बीते 7 वर्षों में औद्योगिक इकाइयों को जारी अनुदानों की जाँच के आदेश दिए हैं। विभाग ने अपने संयुक्त सचिव और उप सचिव स्तर के 27 अधिकारियों को इस जांच का जिम्मा सौंपा है।

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के० के० पाठक ने खुद जाँच का आदेश दिया है। बीते सात वर्षों में सरकार ने दो औद्योगिक नीति बनाई, जिसके तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उद्योग विभाग ने कई रियायतों का ऐलान किया। इन दोनों नीतियों का मिलाकर बिहार में 830 इकाइयों को अब तक करीब 1,500 करोड़ रुपये अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। उद्योग विभाग ने अब इन सभी इकाइयों और उनके नाम पर जारी अनुदान के भौतिक जाँच के आदेश दिए हैं। इस जाँच में इकाई की स्थिति, उत्पादन, अनुदान की राशि और फर्जीवाड़े की स्थिति में कार्रवाई की जाँच की जा रही है। उत्पादन चालू होने पर भी अगर किसी इकाई को अनुदान नहीं मिल रहा है, तो उसे अनुदान दिलाने में भी यह टीम मदद करेगी। **( विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 2.11.2018 )**

## देश में लागू होगा ट्रांसमिशन का बिहार मॉडल

**केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर बिहार की ट्रांसमिशन परियोजना पर काम करने को कहा**

बिजली के क्षेत्र में बिहार का मॉडल पूरे देश में लागू होगा। वितरण के बाद अब ट्रांसमिशन यानी संचरण के मामले में भी देश बिहार का अनुसरण करेगा। केन्द्र सरकार ने इस बाबत सभी राज्यों को पत्र लिखकर बिहार की ट्रांसमिशन परियोजना पर काम करने को कहा है। केन्द्रीय ऊर्जा सचिव अजय भल्ला ने बिहार को छोड़ देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि केन्द्र सरकार की ओर से सौभाग्य, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम और दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना के तहत बिजली परियोजनाएँ चल रही हैं। इन योजनाओं का मकसद है कि देश के सभी नागरिकों तक बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। **( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.11.2018 )**

## बिहार खुद ही बनाएगा कजरा-पीरपैंती बिजलीघर, और ऊर्जा का लगेगा प्लांट

**केन्द्र को प्रस्ताव नहीं, ओपेन बीड के माध्यम से बनेगा बिजलीघर**

बिहार अब खुद ही कजरा और पीरपैंती बिजलीघर का निर्माण करेगा। दोनों जगहों पर सौर ऊर्जाघर लगना है। पिछले दिनों राज्य मंत्रिपरिषद ने दोनों स्थानों पर सौर बिजलीघर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले यहाँ थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना थी। इसके तहत दोनों जगहों पर 660 मेगावाट की दो-दो यूनिटें लगनी थी। पीरपैंती के लिए एनएचपीसी से और कचरा के लिए एनटीपीसी से एमओयू किया गया था। नए प्रस्ताव में कजरा और पीरपैंती में 200-200 मेगावाट क्षमता का सौर प्लांट लगेगा। पहले इसकी जिम्मेदारी एनटीपीसी को सौंपने का निर्णय लिया गया था। अब बिहार ने खुद ही इसके निर्माण का निर्णय लिया है। ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि दोनों बिजलीघरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार खुद ही कार्ययोजना बनाएगी। इसके निर्माण के लिए ओपेन बीड की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

**( विस्तृत : दैनिक भास्कर, 2.11.2018 )**

## बियाडा में अब पाँच हजार में अपील

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) की ओर से भू-आवंटन रद्द किए जाने के खिलाफ अपील करने वालों को अब अधिक पैसे खर्च करने होंगे।

अब तक ऐसे मामलों में एक हजार रुपए शुल्क देकर प्रधान सचिव के यहाँ अपील की जा सकती थी। मगर अब अपील के लिए पाँच हजार खर्च करने होंगे। बियाडा ने अपील शुल्क में वृद्धि कर दी है। आवेदन के साथ शपथपत्र भी देना होगा। बियाडा की ओर से उद्योग लगाने के लिए आवंटित किए गए प्लाटों में से तमाम भू-आवंटन रद्द कर दिए गए थे। ऐसे मामलों में लोग प्रधान सचिव उद्योग के यहाँ अपील करते हैं। इसके लिए एक हजार का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया जाता है। **( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.11.2018 )**

## ई-वे बिल को फास्टैग व लॉजिस्टिक डेटा बैंक के साथ जोड़ने का प्रस्ताव

**जीएसटी चोरी रोकने के लिए सरकार ने बनाई योजना**

राजस्व विभाग जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए ई-वे बिल को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की फास्टैग प्रणाली और डीएमआईसीडीसी की लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) सर्विसेज के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है। इससे जीएसीटी चोरी रोकने के साथ-साथ माल परिवहन को और सुगम बनाया जा सकेगा।

एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली स्थापित की है। इससे ट्रकों और दूसरे वाहनों को टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ता है। ई-वे बिल को फास्टैग प्रणाली के साथ जोड़ने के बाद राजस्व विभाग के लिए माल परिवहन की निगरानी करने के साथ ही कर चोरी पर नजर रखना अब ज्यादा आसान होगा।

**( विस्तृत : दैनिक भास्कर, 20.11.2018 )**

**राजधानी के 5.50 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घरों में लगना है स्मार्ट प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर, ईडीएफ कंपनी को मिला जिम्मा**

## राजधानी समेत राज्य के 18 लाख घरों में मीटर लगाने की योजना

राजधानी में स्मार्ट मीटर लगाने का ट्रायल अगले सप्ताह से शुरू होगा। इसकी तैयारी बिजली कंपनी ने पूरी कर ली है। इनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम ईडीएफ कंपनी को दिया है। कंपनी ने फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम जैसे विकसित देशों में स्मार्ट प्रीपेड और पोस्ट पेड मीटर लगाने का काम किया है। इस कंपनी की टीम पटना पहुँच गई है। बिजली कंपनी के पदाधिकारियों के अनुसार ट्रायल के तौर पर डाकबंगला इलाके में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू होगा। ट्रायल सफल रहने के बाद राजधानी समेत राज्य के 18 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घरों में डिमांड के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड और पोस्ट पेड मीटर लगाया जाएगा।

राजधानी पटना समेत राज्य के 18 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घरों स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा। इसकी शुरूआत पटना से होगी। राजधानी के 5.50 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद राज्य के अन्य जिला मुख्यालय में लगाने का काम शुरू होगा। पहले चरण में दक्षिण बिहार के पटना, आरा, बिहारशरीफ, औरंगाबाद, सासाराम जिला मुख्यालय में रहने वाले

बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा। वहीं, उत्तर बिहार के हाजीपुर, पूर्णिया, बेगूसराय व सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय में रहने वाले उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा।

**ऑनलाइन होगा रीचार्ज :** आम उपभोक्ता साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बेवसाइट पर जाकर ऑन लाइन रीचार्ज करेंगे। दक्षिण बिहार के 17 जिलों के उपभोक्ताओं को रिचार्ज करने के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और 21 जिलों के उपभोक्ताओं को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बेवसाइट पर जाकर रिचार्ज करना होगा।

**( साभार : दैनिक भास्कर, 15.11.2018 )**

## जिलों में भी जेम पोर्टल से होगी सरकारी खरीद

जिलों के सरकारी कार्यालयों में भी होने वाली खरीद अब जेम पोर्टल से की जाएगी। बिहार में अभी राज्यस्तर पर स्थापित सरकारी कार्यालयों जैसे सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों द्वारा जेम पोर्टल से खरीद की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने जिला मुख्यालय में स्थापित सरकारी कार्यालयों को भी जेम पोर्टल पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं सेवाओं को प्राप्त करने का निर्देश दिया है। हालांकि यह वर्तमान में बाध्यकारी नहीं है।

जेम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से देश भर में सरकारी खरीद को सुविधाजनक, पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। बिहार में सचिवालय स्तर पर होने वाली खरीद की प्रक्रिया के साथ ही साथ जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय सहित अन्य सभी कार्यालयों में भी होने वाली खरीद प्रक्रिया को जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। वित्त विभाग के अनुसार निकट भविष्य में राज्य के सभी कार्यालयों में जेम पोर्टल से खरीद को अनिवार्य करने की योजना है।

**जेम पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर अपना निबंधन कराए :** वित्त विभाग ने जिलों में स्थित सरकारी कार्यालयों से अनुरोध किया है कि वे जेम पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर अपना निबंधन कराए।

साथ ही, यथासंभव इस पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री एवं सेवाओं का आवश्यकता अनुसार क्रय करें। विभाग के अनुसार वेब पोर्टल पर निबंधन कराने के लिए ऑनलाईन सुविधाएं दी गयी है। वित्त विभाग के अनुसार इसके बावजूद किसी भी कार्यालय को जेम पोर्टल पर निबंधन में कोई परेशानी होती है तो वे विभाग के संयुक्त सचिव एवं जेम पोर्टल के नोडल पदाधिकारी उदयन मिश्र से संपर्क कर सकते हैं। **( साभार : हिन्दुस्तान, 15.11.2018 )**

## 2.5 लाख रुपये से अधिक के लेने-देन पर पैन कार्ड अनिवार्य

### व्यावसायिक इकाइयों पर होगा लागू

एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक का लेन-देन करने वाली व्यावसायिक इकाइयों के लिए पैन कार्ड अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिस व्यक्ति ने भी इस वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये या इससे अधिक का व्यावसायिक लेन-देन किया है और वर्तमान में उसके पास आयकर विभाग की ओर से दिया गया परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है उसे इसके लिए आवेदन 31 मई तक करना होगा। गैर-व्यक्तिगत संस्थाएँ जिनके पास पैन नहीं है। लेकिन, एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख या उससे अधिक का लेन-देन कर रहे हैं, तो उन्हें भी अब पैन का आवेदन करना जरूरी है।

**नियम 114 में एक संशोधन किया गया है :** वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि जो भी बदलाव हुए हैं। यह 19 नवम्बर, 2018 के आयकर विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार है। आयकर नियमों के नियम 114 में एक संशोधन किया गया है। यह संशोधित प्रावधान 5 दिसम्बर, 2018 से लागू होगा। उन्होंने बताया कि बजट 2018 में भी आयकर अधिनियम की धारा 139ए में संशोधन किया गया था, जिसमें गैर-व्यक्तियों यानी पार्टनरशिप फर्म, एचयूऍफ कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी इत्यादि जिनके पास पैन नहीं है और उनका कुल लेन-देन 2.5 लाख से ज्यादा है उनके लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया था। यह आवश्यकता वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू हुई थी।

खेतान ने बताया कि इस तरह के नियम ने 2.5 लाख या उससे अधिक के लेन-देन में प्रवेश करने वाले निवासी गैर-व्यक्तियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में पैन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं की है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्तीय वर्ष के 31 मई को या उससे पहले पैन के लिए आवेदन करने के लिए समय अवधि को सूचित करने के लिए नियम 114 (3) में संशोधन किया है। **( साभार : प्रभात खबर, 26.11.2018 )**

## टाल में किसान सीड हब बनाने का प्रोजेक्ट शुरू

बाढ़ के टाल क्षेत्र में दलहन के उन्नत बीजों के लिए किसानों को अब इधन-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए विशेष परियोजना शुरू की गई है जिसमें 55 से अधिक किसानों को बीज उत्पादन की जिम्मेदारी दी गई है।

उत्साहजनक बात यह है कि इन उत्पादित बीजों को केन्द्र सरकार द्वारा भी खरीदा जाएगा। बाढ़ के कृषि विज्ञान केन्द्र अगवानपुर के वैज्ञानिकों की देखरेख में पंडारक प्रखंड के सरहन टाल के किसानों के बीच बायोटेक किसान सीड हब प्रोजेक्ट के तहत 10 किसानों को चना तथा 9 किसानों को मसूर का बीज वितरित किया गया है। इनके द्वारा वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करने को लेकर तकनीक की भी जानकारी दी गई है। इनके द्वारा उत्पादित बीज केन्द्र के द्वारा क्रय किया जाना है। स्थानीय किसान भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 35 किसानों को खेसारी के रोगमुक्त उन्नत किस्म के रतन एवं प्रतीक को भी बीज उत्पादन के लिए वितरित किया गया है। इस नई परियोजना से टाल क्षेत्र में परंपरागत बीजों के इस्तेमाल में एक तरफ कमी आने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर आसानी से उन्नत किस्म के रोग मुक्त बीज किसानों को उपलब्ध हो सकेंगे। **( साभार : हिन्दुस्तान, 26.11.2018 )**

## बिहार नारियल उत्पादों का बहुत बड़ा बाजार

नारियल और नारियल के उत्पादों का बिहार बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ नारियल से जुड़े उत्पादों की बिक्री का बड़ा स्कोप है। नारियल उत्पादक राज्यों के किसानों के उत्पादों को बिहार में सीधे ट्रेडर्स को उपलब्ध कराने से क्रेता व विक्रेताओं दोनों को फायदा होगा। ये बातें नारियल विकास बोर्ड के चेयरमैन राजू नारायण स्वामी ने कहीं। वे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित नारियल विकास बोर्ड की ओर से आयोजित क्रेता-विक्रेता समागम में बोल रहे थे। **( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 31.10.2018 )**

### आईआईटी रुड़की, पटना सीईपीटी अहमदाबाद से होगा करार

## बेहतर प्रबंधन के लिए नगर विकास करेगा पाँच एमओयू

प्रभावी नगरीय प्रशासन एवं शहरी विकास के लिए आवास एवं नगरीय विकास विभाग नई पहल करने जा रहा है। विभाग 17 नवम्बर को पाँच एजेंसियों संग एमओयू साइन करेगा। इनमें राजधानी के हर इलाके की विशिष्टता के हिसाब से जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने, नमामि गंगे योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की थर्ड पार्टी निगरानी सहित अन्य कार्य शामिल होंगे।

एमओयू के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी होंगे, जबकि अध्यक्षता आवास एवं नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा करेंगे। विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा करेंगे। विभाग द्वारा आईआईटी रुड़की को जोनल डेवलपमेंट प्लान की जोनवार विस्तृत कार्ययोजना तैयार कराने के लिए मास्टर कंसल्टेंट नियुक्त किया है। इसके विशेषज्ञ हर जोन की विशिष्टताओं के हिसाब से कार्ययोजना बनाएंगे। नमामि गंगे के तहत राज्य में 4660.5 करोड़ की 21 योजनाओं को स्वीकृति मिली है। सभी योजनाओं में कार्य आरंभ होने से पहले, काम शुरू होने पर और उसके पूरा होने पर इसकी निगहबानी आईआईटी पटना के विशेषज्ञ करेंगे।

**सीईपीटी यूनिवर्सिटी करेगी पटना के मास्टर प्लान का काम :** पटना का मास्टर प्लान-2031 का कार्य सीईपीटी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद द्वारा किया गया था। अब एरिया डेवलपमेंट स्कीम को अमलीजामा पहनाने के लिए सीईपीटी के साथ करार किया जा रहा है। डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पटना संग भी विभाग एमओयू करेगा। वह नगर कैडर की नियुक्ति, भर्ती के

लिए नियम बनाने, नगरपालिका कर्मियों की सेवा शर्ते बनाने, नगर राजस्व का विस्तार, लाइसेंसिंग पर नीति तैयार करने सहित अन्य कार्य करेगा। राज्य में किफायती आवास योजनाओं को पीपीपी मोड पर विकसित करने के लिए आईएफसी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप को लीड ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त करने के लिए भी करार होगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.11.2018)**

## कंपनी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम में बदलाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी। अध्यादेश राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरणों (एनसीएलटी) पर दबाव कम करने और कंपनियों के छोटे-मोटे उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने के लिए लाया गया है।

इस अध्यादेश के प्रभावी होने के बाद एनसीएलटी से 90 फीसदी मामले वाणिज्य मामलों के मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशकों के पास आ जाएंगे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'अधिनियम में बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब क्षेत्रीय निदेशक मामलों को देखेंगे।' सभी गंभीर अपराधों की स्थिति को बनाए रखाए जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वीकृति मिलने के बाद अध्यादेश प्रभावी हो जाएगा। अधिनियम में संशोधन के बारे में विचार कंपनी अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश के बाद किया गया। इसमें कहा गया था कि ऐसे अपराध जो गंभीर नहीं हैं, उन्हें क्षेत्रीय निदेशकों के हवाले किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय निदेशकों को आर्थिक सीमा में वृद्धि करने की शक्ति दी जाएगी। **(बिज़नेस स्टैंडर्ड, 2.11.2018)**

## रिजर्व बैंक के प्लेटफॉर्म पर हर व्यक्ति और कंपनी के कर्ज की जानकारी होगी

**आरबीआई ने पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनाने के लिए कंपनियों से आवेदन मंगाए**

रिजर्व बैंक ने पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री यानी पीसीआर बनाने की पहल की है। इसके लिए इसने कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) मंगाए हैं। पीसीआर में व्यक्तिगत और कॉरपोरेट, हर तरह के कर्ज लेने वाले की जानकारी होगी। अभी इनके कर्ज के बारे में सभी तरह की सूचनाएँ एक जगह पर नहीं मिलती हैं। बैंक या वित्तीय संस्थान जिसे भी कर्ज देंगे उसकी जानकारी इस प्लेटफार्म पर उपलब्ध करानी पड़ेगी। भले ही कर्ज की रकम छोटी हो या बड़ी।

**कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपना पुराना कर्ज छिपा नहीं सकेगी**

**पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या है? :** यह क्रेडिट यानी कर्ज का ऐसा प्लेफॉर्म होगा जहाँ कर्ज लेने वाले व्यक्ति या कंपनी के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। भले ही उसने वह कर्ज बैंक से लिया हो या एनबीएफसी से विदेशी कर्ज की भी जनकारी होगी।

**पीसीआर बनाने से क्या लाभ मिलेगा? :** बैंक या वित्तीय संस्थान को पता चलेगा कि कर्ज लेने वाले ने पुराना कर्ज चुकाया या नहीं, या डिफॉल्ट तो नहीं किया। पीसीआर के बाद कंपनियाँ पुराने कर्ज को छिपा नहीं सकेंगी।

**पीसीआर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? :** अभी तमाम तरह के कर्ज लेने वाले की जानकारी किसी एक जगह नहीं मिल पाती है। चार प्राइवेट कंपनियाँ अलग-अलग जानकारियाँ उपलब्ध कराती हैं। इससे कई बार डिफॉल्टरों का पता नहीं चल पाता है।

**इसके आंकड़े कौन देख सकेगा? :** पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के आंकड़े कर्ज देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा कर्ज लेने वाले भी अपनी हिस्ट्री देख सकेंगे। **(वि०: दैनिक भास्कार, 5.11.18)**

## केन्द्र सरकार ने 166 पुलों के निर्माण को दी मंजूरी

केन्द्र सरकार ने बिहार में 166 नए पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी है। ये पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छोटी-छोटी नदियों व नालों पर बनेंगे। पुलों के निर्माण से आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। इसके लिए 350 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें केन्द्र का 60 व राज्य का 40 प्रतिशत योगदान होगा।

**इन जिलों में बनेंगे पुल :** जमुई में 49, गया में 20, मधुबनी में 12, दरभंगा, औरंगाबाद में 10-10, अररिया, भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा में 6-6, पूर्णिया में 7, बांका, नवादा में 5-5, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 4, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण में 2-2, अरवल, मुंगेर, सीतामढ़ी, जहानाबाद, मुंगेर, नालंदा, पटना, रोहतास व समस्तीपुर में 1-1 **(हिन्दुस्तान, 3.11.2018)**

## ई-स्टाम्प से निबंधन की सहूलियतें देने को सरकार कटिबद्ध

• पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर सहित आधे दर्जन जिलों में व्यवस्था शुरू • अगले छह महीनों में राज्य के 124 कार्यालयों में लागू हो जाएगी ई-स्टाम्प की सुविधा • भुगतान में पारदर्शिता के साथ-साथ स्टाम्प मुहैया कराने के नाम पर बिचौलियों द्वारा पैसे वसूलने में लगेगी लगाम।

निबंधन कार्यालयों में आये दिन किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री में आम लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए बैंकों के चक्कर लगाना या फिर स्टाम्प की किल्लत का सामना करना। ये समस्या ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए और भी विकट हो जाती है जहाँ बैंक भी दो-तीन किलोमीटर दूर ही होते हैं। यही हाल केस-मुकदमों के सिलसिले में कोर्ट में स्टाम्प शुल्क के भुगतान के वक्त भी होता है।

इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत आम लोगों की सुविधा के लिए ई-स्टाम्प की सुविधा राज्य के सभी जिला निबंधन कार्यालयों में देने की योजना बनायी है। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर सहित लगभग आधे दर्जन जिलों में यह व्यवस्था शुरू हो गई है। पटना उच्च न्यायालय में भी यह व्यवस्था कुछ दिनों में ही शुरू हो जाएगी। राज्य के अन्य न्यायालयों में भी लोगों की सहूलियत के लिए ई-स्टाम्प की व्यवस्था जल्द ही शुरू करने की योजना है। राज्य में 124 कार्यालय हैं और इन सभी में ई-स्टाम्प की सुविधा अगले छह महीनों में पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी।

**(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 3.11.2018)**

## न्यूनतम बैलेंस पर पेनाल्टी से ग्राहक परेशान, बैंक बिना सूचना काट रहे पैसे

**दो बैंकों में अधिक परेशानी, उपभोक्ताओं में रोष**

कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक आदि न्यूनतम बैलेंस के लिए 500 से 1000 रुपए की राशि ही ले रहे हैं, वहीं एसबीआई और आईडीबीआई अपने ग्राहकों को तीन से पाँच हजार रुपए का न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इन दो बैंकों के ग्राहकों में इससे आक्रोश है। अधिक समस्या इस बात को लेकर है कि ग्राहकों को इसकी पहले से जानकारी नहीं दी जा रही है।

सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम बैलेंस वाले खातों से स्वत: पेनाल्टी के रूप में रूप में रुपए काट लिये जा रहे हैं। इससे नाराज आईडीबीआई और एसबीआई के कई ग्राहक खाता बंद करवा चुके हैं। एसबीआई की बोर्ड ऑफिस शाखा से एक महिला ग्राहक ने खाता खोलने के 15 दिनों के अंदर ही उसे बंद करवा लिया। उन्होंने बताया कि 2100 रुपए से खाता खोला, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि तीन हजार बैलेंस रखने पड़ेंगे। इससे उन्होंने खाता बंद करवा दिया। इस बीच बैंक ने उन्हें दौड़ाया भी और 1000 रुपए जुर्माने के रूप में काट भी लिए। ऐसे ही मामले आईडीबीआई के ग्राहकों के भी हैं।

**मिनिमम अकाउंट बैलेंस :** हर महीने के क्लोजिंग डे के बैलेंस के औसत को मिनिमम अकाउंट बैलेंस कहा जाता है। मिनिमम अकाउंट बैलेंस का पता लगाने के लिए हर दिन के आखिर में अकाउंट में मौजूद बैलेंस को जोड़ा जाता है और फिर उसे महीने के कुल दिनों से भाग दे दिया जाता है। मिनिमम अकाउंट बैलेंस अलग-अलग बैंकों और उनकी अलग-अलग शाखाओं पर निर्भर करता है। अर्द्ध-शहरी/ ग्रामीण शाखाओं के मुकाबले मेट्रो/ शहरी शाखाओं में अमूमन ज्यादा मिनिमम बैलेंस रखना होता है।

**पेनाल्टी की गणना :** मेट्रो/शहरी शाखाओं में आईडीबीआई के मिनिमम बैलेंस के लिए 5 हजार रुपए चाहिए, जबकि अर्द्ध-शहरी/ ग्रामीण

शाखाओं में यह राशि 3 हजार रुपए है। यदि आप एसबीआई के ग्राहक हैं और आपके बचत खाते में यह न्यूनतम राशि जमा नहीं है, तो बैंक आपसे दंड वसूलता है। उदाहरण के लिए यहाँ न्यूनतम जमा राशि 3,000 रुपए है और यदि आपके खाते में 75% यानी 750 रुपए से कम है, तो आप पर 50 रुपए पेनल्टी लगाया जाएगा।

**घाटा कम करने के लिए बड़े ग्राहकों को कर रहे परेशान**

"कॉरपोरेशन बैंक का न्यूनतम बैलेंस सबसे कम 500 रुपए है। जबकि अन्य बैंकों ने इस नियम को कमाई का जरिया बना लिया है। जो बड़े बैंक बैड लोन में फंसे थे, उन्होंने घाटा कम करने के लिए यह ग्राहकों पर थोपा।"

– संजय तिवारी, उप महासचिव, बिहार प्रोविंशियल बैंक इंप्लाइज यूनियन

**(साभार : दैनिक भास्कर, 15.11.2018)**

## पाँच साल में 60 लाख करोड़ का होगा रिटेल फूड बाजार

**एसोचैम की रिपोर्ट, हर साल 9.2% की हो रही वृद्धि**

भारत का रिटेल फूड मार्केट हर साल 9.23% की दर से बढ़ रहा है। 2017 में यह 35.30 लाख करोड़ रुपए का था। यह बाजार 2023 में 60 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच सकती है। उद्योग संगठन एसोचैम और टेकसाई रिसर्च कंसल्टिंग ने अपने एक संयुक्त अध्ययन में यह अनुमान जताया है। 'फूड वैल्यू चेन : पार्टनरशिप इन इंडिया' नामक अध्ययन के मुताबिक फूड प्रोसेसिंग के दाम बढ़ेंगे। एसोचैम का कहना है कि यह छोटे किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, जो निर्यातकों के साथ मिलकर अपनी आय बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं।

ऐसे किसान उन्नत टेक्नोलॉजी वाले उपकरण इस्तेमाल कर अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। रिटेल फूड मार्केट में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी ज्यादा है। पूर्वी राज्यों का हिस्सा सबसे कम है। बिहार, झारखंड और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बड़ी रिटेल कंपनियों की मौजूदगी चार-पाँच शहरों तक ही है। कंपनियाँ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्राइस कंट्रोल और बड़े ऑफर देने पर ध्यान केन्द्रित कर रही हैं। **(साभार : दैनिक भास्कर, 12.11.2018)**

## खान विभाग का होगा अपना सुरक्षा निदेशालय

प्रदेश में खनिज संपदा की रक्षा और विवाद से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए सरकार खनिज संपदा सुरक्षा निदेशालय गठित करने की तैयारी में है। इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। यह खान निदेशालय के अधीन काम करेगा। खान एवं भू-तत्व विभाग ने प्रदेश में खनिज संपदा की अवैध खोदाई, इनके परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के इरादे से बिहार खनिज समानुदान नियमावली 2018 तैयार कर ली है। फिलहाल इसे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। **(साभार : दैनिक जागरण, 16.11.2018)**

## जल्द अनिवार्य होगी स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग

देश में बिना हॉलमार्किंग वाले स्वर्ण आभूषण बेचना जल्द ही अपराध की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। सरकार ने इस दिशा में तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली हैं। केन्द्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने यह घोषणा करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही सोने के गहने पर हॉलमार्किंग को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण को सरकार ने उच्च प्राथमिकता दी है। **(दैनिक जागरण, 16.11.2018)**

## गैस सब्सिडी छोड़ने वालों के लिए भी केवाईसी जरूरी

**पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस एजेंसियों से आगामी 30 नवम्बर तक केवाईसी पूरा करने को कहा है**

रसोई गैस सब्सिडी का लाभ नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं को भी केवाईसी (ग्राहक को जानें) कराना जरूरी होगा। ऐसा नहीं कराने पर एक दिसम्बर से सिलेंडर नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस एजेंसियों से 30 नवम्बर तक केवाईसी पूरा करने को कहा है।

**इसलिए है जरूरी :** पेट्रोलियम मंत्रालय की दलील है कि सब्सिडी छोड़ने वाले उपभोक्ताओं का केवाईसी कराने से अयोग्य एलपीजी गैस उपभोक्ता बाहर हो जाएँगे। इससे सब्सिडी नहीं लेने वाले एलपीजी उपभोक्ताओं की सप्लाई बेहतर होगी। दरअसल, सरकार ने वर्ष 2015 में जब गैस कनेक्शन को आधार से लिंक कराया था, तो आपूर्ति बेहतर हुई थी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.11.2018)**

## यूएलबी से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य

**कवायद पहले चरण में बारह नगर में ऑनलाइन आवेदन सुविधा की जाएगी उपलब्ध**

सरकार शहरी नगर निकायों (यूएलबी) में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने में जुटी है। अब शीघ्र ही यूएलबी क्षेत्रों में संचालित सभी प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेना होगा। यही नहीं, प्रति वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण भी कराना होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ट्रेड लाइसेंस नियमावली पर विधि और वित्त विभाग ने मुहर लगा दी है। शासन अब शीघ्र ही नियमावली को कैबिनेट से मंजूर कराने की कवायद में जुटा है। जनहित में लाइसेंस नियमावली को सरल और सहज रखा गया है।

सरकार का मानना है कि होल्डिंग टैक्स और प्रोपर्टी टैक्स के बाद ट्रेड लाइसेंस से होने वाली आय निकायों को स्वावलंबी बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। यूएलबी से ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए आइडी प्रूफ, पैन नंबर, आधार नंबर और दुकान मालिक का करारपत्र जमा करना होगा। वर्तमान में कुछ यूएलबी में लाइसेंस लेने की प्रक्रिया काफी जटिल है उसे भी आसान बनाने की पहल की गई है।

बता दें कि मुजफ्फरपुर नगर निगम ने जहाँ वित्तीय वर्ष 2017-18 में ट्रेड लाइसेंस से 68 लाख रुपये और दरभंगा नगर निगम ने 27 लाख रुपये का राजस्व संग्रह किया वहीं पटना नगर के अलावा अन्य नगर निकायों की ट्रेड लाइसेंस से आमदनी न के बराबर है। ऐसे में शासन ने नगर निकायों की आमदनी बढ़ाने और ट्रेड लाइसेंस देने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह कवायद शुरू की है। ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने पर नगर निगम प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करेगा।

• महज एक पन्ने का होगा आवेदन फार्म • महज आइडी प्रूफ, पैन नंबर, आधार नंबर और करार पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा ट्रेड लाइसेंस • ऑनलाइन होगा ट्रेड लाइसेंस लेने का सिस्टम • नगर निकायों की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन की सुविधा • होटल, ब्यूटी पार्लर या नई दुकान के लाइसेंस के लिए निकायों का चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा।

**दायरे में कौन-कौन :** ट्रेड लाइसेंस अब छोटी-बड़ी दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, पीजी हाउस, जिम, ब्यूटीपार्लर, और अन्य प्रतिष्ठानों को लेना होगा। वर्तमान प्रस्ताव में लाइसेंस सिर्फ कॉमर्शियल सड़कों पर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दिया जाएगा। ट्रेड लाइसेंस का शुल्क मामूली रखा गया है जिससे कोई भी व्यापारी आसानी से इसे ले सके। वर्तमान में यूएलबी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि शहर में कितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं।

**300 से 2500 रुपये तक लगेगा शुल्क :** लाइसेंस शुल्क 300 से लेकर 2500 रुपये तक निर्धारित किया गया है। हालांकि अंतिम रूप से निकायों की सशक्त स्थाई समिति और बोर्ड को अधिकार सौंपने पर भी विचार-विमर्श जारी है। ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है।

**(साभार : दैनिक जागरण, 12.11.2018)**

## ग्राहकों के हित में स्वास्थ्य बीमा के नियम बदलेंगे

**क्लेम से जुड़ी शिकायतों की रिपोर्ट के आधार पर पाँच बड़े बदलाव की तैयार में इरडा**

स्वास्थ्य बीमा कंपनियां मनमाने ढंग से अब क्लेम रद्द नहीं कर सकेंगी। बीमा नियामक इरडा ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए क्लेम आवेदन संबंधी नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है।

भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) ने स्वास्थ्य बीमा

आवेदन से जुड़ी शिकायतों पर बनाए गए समूह की रिपोर्ट के आधार पर पाँच बड़े बदलाव की तैयारी की है। इसमें स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के उन नियमों में बदलाव किया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत कंपनियां पॉलिसीधारक के आवेदन को खारिज कर देती हैं। दरअसल, इरडा को सर्वाधिक शिकायतें बीमाधारक को पॉलिसी लेने से पूर्व हुई किसी बीमारी को लेकर कंपनियों द्वारा आवेदन खारिज करने को लेकर मिल रही थीं।

**पॉलिसी से पहले की बीमारी को लेकर अस्पष्टता दूर होगी :** इरडा ने माना कि पहले रही किसी बीमारी से अनजान व्यक्ति को पॉलिसी के बाद इसका पता चलने पर क्लेम का आवेदन रद्द करना अन्यायपूर्ण है। लिहाजा इसमें पॉलिसी से पूर्व किसी बीमारी के लक्षण या पहचान को हटा दिया गया है। सिफारिश में सिर्फ पॉलिसी से पहले रही किसी बीमारी की पहचान और इलाज को ही क्लेम रद्द करने का आधार माना जाएगा।

**आठ साल के वेटिंग पीरियड के बाद क्लेम रद्द नहीं हो सकेगा :** बीमा कंपनियां बीमारी छिपाने का आधार देते हुए पॉलिसी के काफी साल बाद भी क्लेम को खारिज कर देती हैं, लेकिन अब वेटिंग पीरियड आठ साल तक सीमित करने की सिफारिश की गई है। सिक्योरनाउ इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के सह संस्थापक कपिल मेहता ने कहा कि यह अवधि ग्राहकों के साथ कंपनियों के लिए उचित है।

**कोई भी बीमारी दायरे से बाहर नहीं रहेगी :** स्वास्थ्य बीमा के तहत एचआईवी, पर्किंसन जैसी बीमारियाँ फिलहाल दायरे में नहीं थीं, इन्हें स्थायी तौर पर क्लेम से बाहर रखा गया है। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्जाइमर, एड्स, पर्किंसन जैसी सभी बीमारियाँ पॉलिसी दायरे में होंगी। हालांकि प्रसव, बांझपन जैसी स्थितियाँ क्लेम से बाहर रहेंगी।

**कुछ बीमारियों पर शर्त लगा सकती है कंपनियाँ :** रिपोर्ट के मुताबिक, अगर पॉलिसी लेने से पूर्व व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है और उसकी जानकारी भी दी गई है तो कंपनियाँ कुछ चिन्हित बीमारियों को क्लेम के दायरे से बाहर रख सकती हैं। ऐसे 17 लक्षणों को चिन्हित किया गया है। कंपनिया डायबिटीज, हाइपरटेंशन पर पॉलिसी देने से मना नहीं कर पाएँगी।

**उपचार की नई पद्धतियाँ और तकनीक भी दायरे में :** रिपोर्ट में कहा गया है कि चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीक, दवा और उपचार पद्धतियाँ आ गई हैं, लिहाजा उन्हें भी बीमा क्लेम के दायरे में लाने के लिए हेल्थ टेक्नोलॉजी एसेसमेंट कमेटी बनाई जाए। यह समिति भारतीय बाजार के अनुरूप पद्धतियों को ग्राहकों के लिए सुलभ बनाएगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 16.11.2018)**

## मैटरनिटी लीव के 7 हफ्तों की सैलरी कंपनी को सरकार देगी

मैटरनिटी लीव पर गई महिला की 26 में से 7 हफ्ते की तनख्वाह का भुगतान सरकार करेगी। ये भुगतान महिला की कंपनी को किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी घोषणा की।

इसका उद्देश्य ये तय करना है कि कंपनी की तरफ से गर्भवती महिला को छुट्टी देने में कोताही न बरती जाए। साथ ही कंपनियाँ भी वित्तीय नुकसान की चिंता छोड़ सकें। हालांकि सरकार उन्हीं महिलाओं की छुट्टी पर कंपनी को भुगतान करेगी, जिनकी मंथली सैलरी 15 हजार से ज्यादा हो। ये नियम प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियों के लिए हैं।

दरअसल, पिछले साल सरकार ने मैटरनिटी लीव को 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया था। इसके बाद शिकायतें आने लगी थीं, जब कंपनियाँ गर्भवती को छुट्टी देने में कतरा रहा थीं। कंपनी से निकाले जाने के भी मामले सामने आए थे।

मंत्रालय का मानना है कि उसने 14 हफ्तों की अतिरिक्त मैटरनिटी लीव का प्रावधान दिया था। इसलिए अब महिला की इन 14 में से आधे यानी 7 हफ्तों की तनख्वाह के लिए वो कंपनी को भुगतान कर देगी। श्रम विभाग भी प्रस्ताव पर राजी है। राशि का भुगतान लेबर वेलफेयर सेस से किया जाएगा। फंड में मार्च 2017 तक 32632 करोड़ रुपए थे। इसमें से 7500 करोड़ ही खर्च हुए हैं।

**(साभार : दैनिक भास्कर, 16.11.2018)**

## भारत से 50 वस्तुओं के निर्यात पर अमेरिका में शुल्क लगेगा

**अमेरिका 129 देशों से 4,800 वस्तुओं का ड्यूटी फ्री आयात करता है, सबसे ज्यादा भारत से**

अमेरिका ने 90 वस्तुओं को ड्यूटी फ्री आयात की सूची से हटा दिया है। यानी इन वस्तुओं के आयात पर अमेरिका में अब शुल्क लगेगा। भारत इनमें से करीब 50 वस्तुओं का निर्यात अमेरिका को करता है। इनमें ज्यादातर हैंडलूम और कृषि क्षेत्र के उत्पाद हैं, जिन्हें छोटे-मझोले कारोबारी तैयार करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का यह आदेश 1 नवम्बर से लागू हो गया है। ट्रम्प प्रशासन के इस फैसले से भारत का कितना निर्यात प्रभावित होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। 2017 में भारत ने जीएसपी के तहत अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर का ड्यूटी फ्री निर्यात किया था। अमेरिका को कुल निर्यात 47.8 अरब डॉलर का था।

**भारत से इन वस्तुओं के निर्यात पर अब शुल्क भरना पड़ेगा :** भारत से निर्यात होने वाली अरहर दाल, सुपारी, तारपीन गम, प्रिजर्व किए हुए आम, सैंडस्टोन, टिन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बफेलो लेदर, हैंडलूम कॉटन फैब्रिक, हैंडलूम कार्पेट, सोने की परत चढ़े बेस मेटल के नेकलेस पर शुल्क लगेगा।

**भारत से अमेरिका को 3,500 वस्तुओं का ड्यूटी फ्री निर्यात :** अमेरिका ने 129 देशों की करीब 4,800 वस्तुओं को जीएसपी में रखा था। भारत से अमेरिका को करीब 3, 500 वस्तुओं का ड्यूटी-फ्री निर्यात होता है। इनमें टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ज्वैलरी और कई तरह के कैमिकल भी शामिल हैं।

**भारत से 5.6 अरब डॉलर का ड्यूटी फ्री आयात किया :** 21.2 अरब डॉलर कुल आयात • 5.6 अरब डॉलर भारत से • 4.2 अरब डॉलर थाईलैंड से • 2.5 अरब डॉलर ब्राजील से (आंकड़े 2017 के, स्रोत-अमेरिकी विदेश व्यापार कार्यालय) **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 2.11.2018)**

## एफिडेविट लेकर बिल्डर को रजिस्ट्री में रेरा नंबर से छूट दें

**कंप्लीशन सर्टिफिकेट : सरकार को रेरा का सुझाव**

बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने स्पष्ट किया है कि एक मई, 2017 के पहले नगर निकायों से कंप्लीशन सर्टिफिकेट (पूर्णता प्रमाणपत्र) प्राप्त कर लेने वाली परियोजनाओं को रेरा प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। लेकिन, वैसी परियोजनाएँ, जिनका दावा है कि वे पूरी हो गयी हैं, लेकिन उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, के मामले में राज्य सरकार संबंधित बिल्डरों से एफिडेविट (शपथपत्र) लेकर फ्लैटों की रजिस्ट्री में रेरा नंबर से छूट का लाभ दे सकती है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 30.10.2018)**

## गाड़ियों के नंबरों की ऑनलाइन बोली

परिवहन विभाग गड़ियों के नम्बरों की ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू करने जा रहा है। लकी नम्बर लेने के लिए गाड़ी खरीदने के एक महीने तक ही ऑनलाइन बुकिंग करवाना पड़ेगा।

नम्बरों की कीमत की 30 फीसदी राशि ऑनलाइन जमा करने के बाद एडवांस बुकिंग हो सकेगी। बुकिंग के एक सप्ताह बाद गाड़ियों के नम्बरों की कीमत पर ऑनलाइन बोली लगेगी। एक सप्ताह बाद सबसे अधिक राशि की बोली लगाने वाले आवेदकों को नम्बर दे दिया जाएगा।

**एक माह तक नंबर न लेने पर दूसरों को बेच दिया जाएगा :** सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ी खरीदने के एक महीने बाद भी कोई रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं लेगा तो नम्बर दूसरे वाहन मालिक को बेच दिया जाएगा। इससे विभाग का राजस्व बढ़ेगा।

**परिवहन विभाग :** • मूल कीमत का 30 प्रतिशत देकर करा सकेंगे एडवांस बुकिंग • एक महीने पहले गड़ियों के नम्बरों की करा सकेंगे बुकिंग • गाड़ियों के वीआईपी नम्बरों को चार श्रेणियों में बाँटा गया है। एक लाख 75 हजार रुपये, 75 हजार रुपये, 50 हजार रुपये और 15 हजार रुपये • गड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर की राशि तय • 800 से 900 गाड़ियाँ बिकती हैं एक दिन में।

**राज्य में सबसे अधिक बिकता है 0001 नम्बर :** राज्य में अभी सबसे अधिक 0001, 0005, 0786 नम्बरों की मांग होती है। इसकी कीमत 25 हजार रुपये तय की गई है। ऑनलाइन नीलामी में ऐसे नम्बरों की कीमत एक लाख 75 हजार रुपये हो जाएगी। इसके अलावा जन्म की तारीख, शादी की तारीख, वेलेनटाइन डे, आजादी के साल की तारीख, नए साल की तारीख और पहला प्यार मिलने की तारीख को लोग लकी मानते हैं। बता दें कि राज्य में हर दिन 800 से लेकर 900 गाड़ियों की बिक्री हो रही है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटी की संख्या 08 प्रतिशत होती है। 20 प्रतिशत गाड़ियों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगती है।

"गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नम्बर की ऑनलाइन नीलामी होगी। योजना को स्वीकृति के लिए कैबिनेट के समक्ष भेजा गया है। जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएगी। इसके बाद लोग आसानी से मनचाहा गड़ियों का नम्बर ले सकेंगे।"

**– संजय कुमार अग्रवाल,** परिवहन सचिव

**( साभार : हिन्दुस्तान, 22.11.2018 )**

## क्या है आरटीजीएस, एनईएफटी व आइएमपीएस

अक्सर आप जब बैंक जाते होंगे तो आपको आरटीजीएस, एनइएफटी, आइएमपीएस, ईसीएस जैसी शब्द सुनने को मिलते होंगे। इनका मतलब क्या है? ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? आप कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? जागरण पाठशाला के इस अंक में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

आरटीजीएस, ईसीएस, एनईएफटी और आइएमपीएस इलेक्ट्रॉनिक ढंग से भुगतान के अलग-अलग रूप हैं। उदाहरण के लिए एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर) एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है। जिससे कोई व्यक्ति या कंपनी किसी बैंक ब्रांच से देश के अन्य बैंक ब्रांच में दूसरे व्यक्ति या कंपनी के खाते में फंड ट्रांसफर कर सकता है। इससे फंड ट्रांसफर के लिए कोई चैक या ड्राफ्ट भेजने की आवश्यकता नहीं होती। अगर उस व्यक्ति का बैंक खाता नहीं है तो भी वह एनईएफटी से धन भेज सकता है लेकिन धनराशि प्राप्त करने को बैंक खाता आवश्यक है। एनईएफटी से फंड ट्रांसफर की कोई सीमा नहीं है लेकिन बैंक खाता न होने पर सिर्फ 50,000 रुपये ही ट्रांसफर हो सकते हैं। एनईएफटी से विदेश में धनराशि नहीं भेजी जा सकती, लेकिन भारत से धनराशि नेपाल भेजने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक की जिस शाखा में फंड ट्रांसफर होना है, उसका आइएफएससी कोड पता होना जरूरी है। आइएफएससी का मतलब है- इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो 11 अंकों और अक्षरों का मेल होता है। इसके शुरूआती चार अक्षर बैंक का नाम दर्शाते हैं, पाँचवीं जीरो होता है, जबकि आखिरी छह अंक बैंक की शाखा को दर्शाते हैं। एनईएफटी का परिचालन आरबीआइ करता है। एनईएफटी की सुविधा सप्ताह के दिनों में आधा घंटे के बैच में सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक होती है लेकिन दूसरे और चौथे शनिवार को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि जिस दिन बैंक खुलता है, उस दिन एनईएफटी की सुविधा होती है। एनईएफटी की तरह आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम) भी एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सिस्टम है जो मार्च 2004 से चल रहा है। इसका परिचालन आरबीआइ करता है। इसमे पेमेंट का रियल टाइम सैटेलमेंट होता है, जबकि एनईएफटी में पेमेंट सैटलमेंट बैच में होता है। इसीलिए यह एनईएफटी से भिन्न है। आरटीजीएस का इस्तेमाल बड़ी राशि ट्रांसफर करने के लिए किया जा जाता है। इसके तहत ट्रांसफर की जाने वाली राशि की न्यूनतम सीमा दो लाख रुपये है, लेकिन कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसी तरह आइएमपीएस (इमीडिएट पेमेंट सिस्टम) का परिचालन हर दिन चौबीस घंटे किया जाता है ताकि छोटी-छोटी राशि समय पर एक व्यक्ति के बैंक खाते से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में भेजी जा सके। आइएमपीएस का इस्तेमाल मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम, एसएमएस और ब्रांच के माध्यम से किया जा सकता है। इसके तहत धनराशि का ट्रांसफर तत्काल हो जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान का एक और तरीका है जिसे ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस) कहते हैं। जब हमें एक निश्चित अवधि के बाद किसी को बार-बार भुगतान करना होता है तो ईसीएस का इस्तेमाल किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है- ईसीएस क्रेडिट और ईसीएस डेबिट। ईसीएस क्रेडिट का उपयोग सैलरी व पेंशन के भुगतान के लिए जबकि ईसीएस डेबिट का इस्तेमाल बिजली, पानी व टेलीफोन के बिल के भुगतान तथा लोन की किश्त जमा करने के लिए किया जाता है। ईसीएस का संचालन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। इसके जरिए एक ही बैंक खाते से कई बैंक खातों तथा कई बैंक खातों से एक बैंक खाते में धनराशि भेजी जा सकती है। ईसीएस के लिए एमआइसी आर (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन) कोड आवश्यक होता है जो नौ डिजिट का होता है, जिससे बैंक की शाखा की पहचान की जाती है। एमआइसीआर कोड के पहले तीन अक्षर शहर को, अगले तीन अक्षर बैंक और आखिरी तीन अक्षर शाखा को दर्शाते हैं।

**( साभार : दैनिक जागरण, 19.11.2018 )**

## क्या होता है कार्टेल ?

आर्थिक समाचारों में आप अक्सर एक शब्द 'कार्टेल' का जिक्र पाते होंगे। कार्टेल का मतलब क्या है? यह मोनोपॉली यानी एकाधिकार व ओलिगोपॉली यानी अल्पाधिकार से किस प्रकार भिन्न है? 'जागरण पाठशाला' के इस अंक में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

आर्थिक जगत में प्रचलित 'कार्टेल' शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा के 'कार्टा' शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है लिखित करार। लैटिन से यह शब्द इटालियन, फ्रेंच और जर्मन भाषा से होकर अँग्रेजी में कार्टेल के रूप में आया। शुरू में 'कार्टेल' का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के संघों के लिए होता था। लेकिन पिछली सदी की शुरूआत से इसका प्रयोग व्यापार जगत में होने लगा। व्यापार के संदर्भ में 'कार्टेल' की परिभाषा इस प्रकार है : 'उत्पादकों, विक्रेताओं, वितरकों या सेवा प्रदाताओं का ऐसा संगठन जो आपसी समझौते के माध्यम से सेवाओं या वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, व्यापार, बिक्री और मूल्य को सीमित व नियंत्रित करता है या नियंत्रण का प्रयास करता है, उसे 'कार्टेल' कहते हैं।' परिभाषा से स्पष्ट है कि इस तरह के नियंत्रण या नियंत्रण के प्रयास को कार्टेलाइजेशन कहा जाता है।

'कार्टेल' मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। जब 'कार्टेल' में शामिल कंपनियाँ कई देशों की होती हैं और इसका असर कई देशों के बाजारों पर पड़ता है, तो उसे 'इंटरनेशनल कार्टेल' कहते हैं। इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन 'ओपेक' है। ओपेक 15 देशों का संगठन है, जिसके पास विश्व के कच्चे तेल का 80 फीसद भंडार है। यह संगठन जब चाहता है तब कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाता है और कम करता है। इस तरह यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित करता है।

'कार्टेल' का दूसरा रूप 'इंपोर्ट कार्टेल' है जिसमें किसी वस्तु को आयात करने वाली कई कंपनियाँ गुप्त समझौता कर लेती हैं। इसी तरह जब किसी एक देश की कई कंपनियाँ मिलकर अन्य देशों में सामान बेचने के लिए करार करती हैं, तो उसे 'एक्सपोर्ट कार्टेल' कहते हैं।

'कार्टेल' की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसकी कार्यप्रणाली अपारदर्शी होती है और यह गोपनीयता से कार्य करता है।

**( साभार : दैनिक जागरण, 5.11.2018 )**

## क्या है स्टैगफ्लेशन?

**आर्थिक समस्या है स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में है अंतर**

कुछ समय पूर्व आपने इन्फ्लेशन (मुद्रास्फीति) के बारे में पढ़ा। आर्थिक जगत के समाचारों और लेखों में कई ऐसी शब्दावली का प्रयोग भी होता है जो इन्फ्लेशन से मिलती -जुलती प्रतीत होती हैं, लेकिन उनका मतलब बिल्कुल भिन्न होता है। जागरण पाठशाला के इस अंक में हम ऐसे ही कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे।

स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन जैसे शब्दों का प्रयोग अक्सर आर्थिक खबरों में होता है। सबसे पहले हम स्टैगफ्लेशन को समझते हैं। स्टैंगफ्लेशन शब्द अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों- रटैग्नेशन और इन्फ्लेशन से मिलकर बना है।

स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव और इन्फ्लेशन का अर्थ है मुद्रास्फीति (महंगाई दर)। इस तरह, जब किसी देश में आर्थिक वृद्धि दर सुस्त पड़ जाए और बेरोजगारी व महंगाई बढ़ती जाए तो उस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। 1960 के दशक में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की इसी तरह की हालत थी जिसे बयाँ करने के लिए ब्रिटिश संसद के तत्कालीन सदस्य और मंत्री इयान मैक्लॉड ने स्टैगफ्लेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद दुनियाभर में अर्थशास्त्री इसका इस्तेमाल करने लगे।

वास्तव में स्टैगफ्लेशन एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक समस्या है, जिससे निपटने के लिए सरकारों को कड़ी मशक्कत करती पड़ती है। सरकार यदि महंगाई को नीचे लाने की कोशिश करती है तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती और यदि बेरोजगारी को कम करने का प्रयास करती है तो महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए स्टैगफ्लेशन की स्थिति से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अमेरिका को पिछली सदी के आठवें दशक में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। उस समय एक के बाद एक लगातार तिमाहियों में अमेरिका के जीडीपी में नकारात्मक वृद्धि हो रही थी। दूसरी ओर महंगाई बढ़कर दहाई के अंकों में पहुँच गई और बेरोजगारी भी बढ़कर नौ फीसद के आसपास चली गई। सरल शब्दों में कहें, तो उस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था कई साल तक स्टैगफ्लेशन से जूझती रही।

दूसरी शब्दावली है रिफ्लेशन। जब कोई देश बेरोजगारी का स्तर घटाने के लिए अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के उपाय करता है तो उस पॉलिसी को रिफ्लेशन कहते हैं। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है जिसके लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। ऐसे में वह देश या तो मुद्रा की छपाई करके धनराशि जुटा सकता है या अतिरिक्त राशि उधार लेकर। इस तरह यह काम राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति के जरिए किया जा सकता है।

तीसरी शब्दावली है डिफ्लेशन। अर्थव्यवस्था में जब मूल्य स्तर में लगातार गिरावट आती है तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन का कारण आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी। डिफ्लेशन की स्थिति से निकलने के लिए सरकारें अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए खर्च में वृद्धि पर जोर देती है ताकि मांग बढ़ने पर कीमतों की गिरावट रुक जाए और अर्थव्यवस्था स्थिर हो सके। यहाँ यह समझना जरूरी है कि डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में अंतर है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति (महंगाई दर) में कभी आना। मुद्रास्फीति शून्य पर पहुँचने के बाद भी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट का जो सिलसिला जारी रहता है, उसे डिफ्लेशन कहते हैं। **(साभार : दैनिक जागरण, 26.11.2018)**

## टिकट रद्द करने पर पूरे रिफंड की योजना अटकी

हवाई यात्रियों की टिकट रिफंड और उड़ानों में देरी से जुड़ी शिकायतें दूर करने के लिए प्रस्तावित पैसेंजर चार्टर खटाई में जाता नजर आ रहा है। विमानन कंपनियों ने हवाई यात्रियों को बुकिंग के 24 घंटे के भीतर या यात्रा की तारीख के चार दिन पहले तक टिकट रद्द करने पर पूरा रिफंड देने जैसे प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया है। चार्टर में टिकट में बिना किसी शुल्क के नाम में बदलाव की सुविधा भी थी, लेकिन एयरलाइन ने इस पर भी आपत्ति जता दी है।

नागरिक विमानन मंत्रालय के मुताबिक, कंपनियों की खराब वित्तीय हालत और आपत्तियों को देखते हुए फिलहाल यात्रियों को यह सौगात मिलना मुश्किल है। मंत्रालय ने प्रस्ताव पर एयरलाइन, यात्री संगठनों, हवाई अड्डा संचालकों और यात्रियों से सुझाव मांगे थे। इसके बाद सभी पक्षों के साथ दो बार बैठकें कर चुका है, लेकिन इसे लागू करने को लेकर निर्णय नहीं हो पाया है।

**मुफ्त नाश्ता और पेय पदार्थ देने का भी था प्रस्ताव :** चार्टर में प्रस्ताव था कि अगर उड़ान में एक घंटे से ज्यादा देरी होती है तो यात्रियों को गर्म नाश्ता और पेय पदार्थ भी मुफ्त दिया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया था कि अगर देरी दो घंटे से ज्यादा होती है तो यात्रियों को नीचे उतारकर आराम दिया जाए।

**ओवर बुकिंग पर पाँच हजार :** चार्टर में ओवरबुकिंग यानी जरूरत से ज्यादा टिकट बुकिंग पर 5 हजार रुपये मुआवजे का प्रस्ताव है और सामान खो जाने पर न्यूनतम तीन हजार, देरी पर न्यूनतम एक हजार और सामान को किसी भी प्रकार के नुकसान पर एक हजार रुपये तक की सिफारिश की गई है।

• 04 घंटे से ज्यादा देरी पर भी यात्री रिफंड का हकदार हो जाता • 5 हजार से 20 हजार का मुआवाजा फ्लाइट में देरी पर मिलता यात्री को • 21 मई को जारी हुआ था एयरलाइन पैसेंजर चार्टर • 8 साल से एयर पैसेंजर एसोसिएशन इस चार्टर की मांग कर रहा है • 50% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई देश में यात्रियों की संख्या में गत दो वर्ष के भीतर।

"अगर विमानन कंपनियां घाटे में हैं तो यह यात्रियों की गलती नहीं हैं। वे हवाई यात्रियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ सकती। सरकार को भी चार्टर जल्द लागू करने पर ध्यान देना चाहिए।

– **डी सुधाकर रेड्डी,** एयर पैसेंजर एसोसिएशन चार्टर के संस्थापक

**(साभार : हिन्दुस्तान, 19.11.2018)**

## बिहार की पहली सौर ऊर्जा से संचालित डीएमयू जमालपुर से चलेगी

बिहार की पहली सौर ऊर्जा से संचालित इको फ्रेंडली डीएमयू जमालपुर से फर्राटा भरेगी। नए शेड में डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट (डीएमयू) को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए तैयार किया जाएगा। ट्रेन में आठ डिब्बे होंगे। इन बोगियों पर 16 से 20 सोलर पैनल लगाए जाएँगे। रैक निर्माण के लिए रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। इलेक्ट्रिक लाइन चालू होने के बाद इलेक्ट्रिक ग्रिड से सोलर पैनलों का संचालन होगा।

"सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन तैयार करने को कहा गया है। यह पूर्व रेलवे की पहली इको फ्रेंडली ट्रेन होगी। प्रयोग सफल रहने के बाद दूसरे ट्रेनों को भी सौर ऊर्जा से लैस करने की कवायद शुरू की जाएगी।"

– **तन्नू चंद्रा,** डीआरएम, मालदा डिवीजन

**(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.11.2018)**

## अब हरनौत वर्कशॉप में एसी व एलएचबी कोचों का भी हो सकेगा मेंटेनेंस

**पूर्व मध्य रेल ने बोर्ड को क्षमता बढ़ाने का भेजा प्रस्ताव, जल्द एप्रूवल मिलने की संभावना, वर्कशॉप को अपग्रेड करने की है तैयारी**

पूर्व मध्य रेल के एकमात्र पीओएच वर्कशॉप हरनौत की क्षमता बढ़ाने की तैयारी है। इस वर्कशॉप को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड से जल्द एप्रूवल मिलने की संभावना है। अपग्रेड होने के बाद हरनौत में एक महीने में सौ से अधिक कोचों का ओवरहॉलिंग हो सकेगा। नन एसी कोचों के अलावा एसी व एलएचबी कोच के पीओएच मेंटेनेंस का काम भी होगा।

**(विस्तृत : दैनिक जागरण, 2.11.2018)**

## COMMERCIAL FLIGHTS FROM DARBHANGA TO COMMENCE BY JUNE NEXT YEAR

Commencement of commercial flights from Darbhanga will begin by mid-2019, with the ministry of defence (MoD recently agreeing to transfer on five-year lease its 2.3 acre land at the defence airfield to the Airports Authority of India (AAI).

**(Detail : Hindustan Time , 3.11.2018)**

## तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते अधिकृत एजेंट : चंद्रा

**टिकट की कालाबाजारी के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान**

विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से तत्काल टिकट की कालाबाजारी के खिलाफ आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) के साथ मिलकर आइआरसीटीसी व्यापक स्तर पर अभियान चला रहा है। अधिकृत एजेंट तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते, लेकिन वे पर्सनल यूजर आइडी से टिकट बुक कर यात्रियों को लूट रहे हैं। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 30.10.2018)**

## राजधानी, शताब्दी व दुरंतो में मार्च से 'फ्लेक्सी फेयर' नहीं

**फ्लेक्सी फेयर के साथ अंतिम किराये में 20 फीसदी की छूट मिलेगी**

पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे ने राजधानी, शताब्दी व दुरंतो एक्सप्रेस जैसी कुछ प्रीमियम ट्रेनों में प्रायोगिक आधार पर 'फ्लेक्सी फेयर' स्कीम को मार्च, 2019 से हटाने का फैसला किया है। दक्षिण-पूर्व रेलवे के प्रवक्ता संजय घोष ने बताया है कि जिन ट्रेनों में महीने में औसतन 50% से कम सीटें भरती हैं, उनमें छह माह के लिए फ्लेक्सी फेयर हटा दिया जायेगा। जिन ट्रेनों में महीने में औसतन 50 से 75% के बीच सीटें भरती हैं, उनमें से कुछ ट्रेनों में तीन महीने के लिए फ्लेक्सी फेयर हटा दिया जायेगा। घोष ने कहा कि सभी श्रेणियों में मौजूदा 1.5 गुनी सीमा घटा कर 1.4 गुनी कर दी जायेगी। बता दें कि फ्लेक्सी फेयर के तहत ट्रेनों में जैसे-जैसे सीटें भरती जाती हैं, उनके किराये में वृद्धि होती जाती है। घोष ने कहा कि 2 एसी, 3 एसी व एसी चेयर कार में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर के साथ अंतिम किराये में 20% की श्रेणीबद्ध छूट दी जायेगी।

**इन से हटेगा फ्लेक्सी फेयर :** हावड़ा-पुरी शताब्दी एक्स (12277) में 15 मार्च से फ्लेक्सी फेयर छह महीने के लिए पूरी तरह से हटा दिया जायेगा। फरवरी, मार्च व अगस्त में रांची-हावड़ा शताब्दी एक्स (12020), पुरी-हावड़ा शताब्दी एक्स (12278) और राँची-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12453) में प्लेक्सी फेयर हटा लिया जायेगा। 15 से 31 मार्च, 2019 तक हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी एक्स(12041) व न्यू जलपाईगुडी- हावड़ा शताब्दी (12042) में फ्लेक्सी फेयर हटाया जायेगा। **( साभार : प्रभात खबर, 15.11.2018 )**

## छोटे कारोबारियों की शिकायतों की रोज की जाएगी मॉनिटरिंग

**समाधान के लिए सीबीआईसी ने बनाई हेल्प डेस्क**

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की जीएसटी से जुड़ी शिकायतों की केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) दैनिक आधार पर निगरानी करेगा। बोर्ड ने यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र की ग्रोथ के लिए 80 जिलों में दो नवम्बर को 100 दिन का सहायता और कारोबार विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है इन सभी जिलों में जीएसटी हेल्प डेस्क पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। अब सीबीआईसी ने एमएसएमई की शिकायतों को दर्ज करने और उनके समाधान के लिए जीएसटी डायरेक्टरेट में एक फीडबैंक व एक्शन रूम (एफएआर) बनाने का निर्णय लिया है। जीएसटी हेल्प डेस्क में मौजूद नोडल अधिकारी छोटे उद्यमियों की जीएसटी से जुड़ी समस्याओं पर उन्हें जरूरी सहायता और जानकारी देगा। वह सभी शिकायतों के बारे में रियल टाइम में एफएआर को जानकारी देगा और एफएआर की ओर से उनकी शिकायतों का समाधान मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवम्बर को एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुछ उपायों की घोषणा की थी।

**( साभार : दैनिक भास्कार, 26.11.2018 )**

## आपराधिक मामला दर्ज होना पासपोर्ट रोके जाने का आधार नहीं : हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि महज आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होना पासपोर्ट जारी करने से मना करने का आधार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने पासपोर्ट अधिनियम के इस विषय से संबंधित प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा कि यह प्रावधान अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आधीन है। यह आदेश जस्टिस देवेन्द्र कुमार अरोड़ा और जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने सलीम खान की याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया था कि याची धार्मिक यात्रा पर जाना चाहता है लेकिन, उसके खिलाफ अपशब्द कहने और एससी-एसटी निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। जिसके चलते उसका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है।

**( साभार : दैनिक जागरण, 30.11.2018 )**


बिहार सरकार

बिहार सरकार की अनूठी पहल

अब रखे सिर्फ एक हेल्पलाईन नम्बर को याद

14403

जिज्ञासा हेल्पलाइन का नया टॉल फ्री नम्बर

सारे हेल्पलाइन नम्बर याद रखने की अब कोई जरूरत नहीं है।

अब जिज्ञासा हेल्पलाइन के नये टॉल फ्री नम्बर 14403 पर सम्पर्क कर विभिन्न विभागों के कॉल सेन्टर / हेल्पलाइन से सम्पर्क किया जा सकता है।
यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध हैं तथा निशुल्क है।
अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के सम्बंध में शिकायत टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार
(Source : Hindustan Time , 6.11.2018)


## चिकित्सा उपकरणों के आयात नियम सख्त होंगे

• डीटीएबी ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि दोषपूर्ण उपकरण के मामले में क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान शामिल किया जाए • डीटीएबी ने यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि यदि आयातक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जाए • औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के दायरे में आता है चिकित्सा उपकरण नियम • प्रस्ताव को विचार और मंजूरी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भेजा जाएगा।

सरकार ने चिकित्सा उपकरण नियम (एमडीआर), 2017 की खामियों को दुरुस्त करने के लिए कमर कस ली है। जॉनसन ऐंड जॉनसन (जेऐंडजे) के कृत्रिम कुल्हा प्रत्यारोपण उपकरण के दोषपूर्ण होने के विवाद के बाद सरकार चाहती है कि जो कंपनियाँ नियमों का उल्लंघन करती हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। अपनी बैठक में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) ने एमडीआर 2017 में नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों का आयात लाइसेंस रद्द करने या निलंबित करने का प्रवधान शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। **( विस्तृत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 30.11.18 )**

## एयर इंडिया के नए नियम से यात्रियों को मुश्किल

एयर इंडिया ने हाल में ही ब्रिटेन की एक फर्म के साथ मिलकर टिकट बुकिंग के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सरकारी विमानन कंपनी टिकट बुकिंग के लिए केवल एक प्लेटफॉर्म अपनाएगी। विमान यात्रियों के संगठन एपीएआई इसे यात्रियों के प्रतिकूल बताते हुए एयर इंडिया के खिलाफ नागर विमानन मंत्रालय में शिकायत की है।

एपीएआई ने केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु को लिखे पत्र में कहा कि कंपनी के एकल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस को लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसका राष्ट्रीय विमानन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और प्रतिस्पर्धियों को लाभ होगा। सरकार विमानन कंपनी ने पिछले महीने ब्रिटेन की ट्रैवलापोर्ट नामक कंपनी के साथ टिकट वितरण के लिए करार किया है। एपीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधाकर रेड्डी ने कहा कि इसकी शुरूआत के साथ ही 4 दिसम्बर से एयर इंडिया का संपर्क सहायक एयरलाइनों से टूट जाएगा। **( साभार : हिन्दुस्तान, 30.11.2018 )**


EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary



Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org


Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296